Jh Hkhek dkyh th ,o vU; efUnj Lkeg U;kl jkeij c'kgj] ftyk f'keyk fgekpy in's'k ds y[kk vof/k 01-01-06 ls 31-12-10 rd dk lf{kIr lkj %&

Ø0 l0	i`jk l[;k	vfu;ferrk dk lf{kIr lkj
1	5	दिनांक 31.12.10 तक ₹2,61,556/–की राषि के अग्रिम भुगतानों का समायोजन न करना।
2	6	किराये की ₹8,82,796/–की राषि वसूली हेतु शेष।
3	7(ग)	₹48,300/–दुकानों के किराए की कम वसूली करना।
4	7(घ)	यूको बैंक से ₹10,000/–की किराए की कम वसूली।
5	8	अयोध्या नाथ मन्दिर की दुकान संख्या एक का अनियमित आबंटन के कारण ₹8,796/–प्रतिमाह किराए की हानि।
6	10	मन्दिर न्यास के विज्ञापनों पर ₹9,36,387/–की राषि का अत्याधिक/अनुपयोगी व्यय।
7	12	मोबाईल फोन पर ₹74,161/–की राषि का अनियमित व्यय।
8	16	मन्दिर न्यास कलैण्डर छापने पर ₹11,165/–की हानि।
9	17	₹10,000/–की राषि का विज्ञापन हेतु दो बार भुगतान करना।
10	19	₹55,510/–के डुपलीकेट बिलों का निर्धारित प्रमाण पत्रों के अंकित किए भुगतान करना।
11	20	₹11,581/–की राषि का वैट के रूप में अधिक भुगतान।
12	22 व 23	संविदाकार को ₹20,371/–की राषि का अधिक भुगतान।
13	24	₹58,04,003/–की राषि के निर्माण कार्यों का अनुमान/प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति के बिना निष्पादन करना।
14	25	₹19,98,015/–की राषि के निर्माण काय्र की रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका में दर्ज किए बिना भुगतान करना।
15	27	संविदाकारों से ₹1,51,519/–की राषि के आयकर/बिक्रीकर की वसूली न करना।
16	28	₹32,39,794/–की राषि के निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु जारी राषि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त न करना।
17	29	गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹12,160/–की राषि का कर्मचारियों को अधिक भुगतान।

Jh Hkhek dkyh th ,o vU; efUnj leg U;kl jkeij c'kgj] ftyk f'keyk fgekpy in'k d y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vof/k 01-01-2006 l 31-12-2010

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के उत्तर के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार हैं। शेष बचे अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु प्रभावी एवं उचित कदम उठाए जाएं ताकि लम्बी अवधि से शेष बचे पैरों का समायोजन किया जा सके :–

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 06-10-1986 l 31-12-1999

1	पैरा 6	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	समाप्त	(₹13,408 / – रसीद संख्या 4986, 1068, रोकड़ पृष्ठ 103 में जमा तथा ₹3,000 / –का सीधा भुगतान रसीद प्राप्त की गई।)
4	पैरा 21	समाप्त	(₹3,500 / – के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया)
5	पैरा 25	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
6	पैरा 37	अनिर्णीत	
7	पैरा 39	अनिर्णीत	
8	पैरा 45	अनिर्णीत	
9	पैरा 46	अनिर्णीत	
10	पैरा 47	अनिर्णीत	
11	पैरा 48	अनिर्णीत	
12	पैरा 49	अनिर्णीत	
13	पैरा 50(ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 51	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
15	पैरा 52	समाप्त	(सम्बन्धित रजिस्टर के रख–रखाव उपरान्त)

¼[k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 01-01-2001 ls 31-12-2001

1	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19	अनिर्णीत

¼x½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 01-01-2002 ls 31-12-2004

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 14	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 24(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 24(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 24(3)	अनिर्णीत
10	पैरा 24(4)	अनिर्णीत
11	पैरा 25	अनिर्णीत
12	पैरा 26	अनिर्णीत
13	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत

¼?k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 01-01-2005 ls 31-12-2005

1	पैरा 3	समाप्त	(अंकेक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट संख्या 1775027, दिनांक 26.06.08 द्वारा जमा)
2	पैरा 4	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
3	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
4	पैरा 6(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	समाप्त	(निविदाओं के अवलोकनोपरान्त)
6	पैरा 8	समाप्त	(निविदाओं के अवलोकनोपरान्त)
7	पैरा 9(क)	समाप्त	(निविदाओं के अवलोकनोपरान्त)

8	पैरा 9(ख)	समाप्त	(₹370/–रसीद संख्या 12966 व 12967, दिनांक 02.06.11 द्वारा जमा)
9	पैरा 9(ग)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
10	पैरा 9(घ)	समाप्त	(₹360/–रसीद संख्या 12971, दिनांक 07.06.11 द्वारा जमा)
11	पैरा 10(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
12	पैरा 10(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
13	पैरा 11	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
14	पैरा 12(क)	समाप्त	(₹290/–रसीद संख्या 12969, दिनांक 02.06.11 द्वारा जमा)
15	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा 12(ग)	समाप्त	(₹109/–रसीद संख्या 12970, दिनांक 07.06.2011 द्वारा जमा)
17	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	
19	पैरा 13(3)	अनिर्णीत	
20	पैरा 14(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 14(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
22	पैरा 15(क)	समाप्त	(₹15,455/–की राषि की वसूली वाऊचर संख्या 610, दिनांक 03.02.2007 द्वारा की गई)
23	पैरा 15(ख)	समाप्त	(₹15,455/–की राषि की वसूली वाऊचर संख्या 610, दिनांक 03.02.2007 द्वारा की गई)
24	पैरा 15(ग)	समाप्त	(₹15,455/–की राषि की वसूली वाऊचर संख्या 610, दिनांक 03.02.2007 द्वारा की गई)
25	पैरा 15(घ)	समाप्त	(₹15,455/–की राषि की वसूली वाऊचर संख्या 610, दिनांक 03.02.2007 द्वारा की गई)
26	पैरा 15(ङ)	समाप्त	(₹15,455/–की राषि की वसूली वाऊचर संख्या 610, दिनांक 03.02.2007 द्वारा की गई)
27	पैरा 16(क)	अनिर्णीत	

28	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा 16(ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा 17(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
31	पैरा 17(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
32	पैरा 17(ग)	अनिर्णीत	
33	पैरा 17(घ)	समाप्त	(आवष्यक कार्यवाही उपरान्त)
34	पैरा 18	समाप्त	(अभिलेख के रख–रखाव उपरान्त)
35	पैरा 19(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
36	पैरा 19(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
37	पैरा 19(ग)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
38	पैरा 19(घ)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
39	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत	
40	पैरा 20	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर में निम्नलिखित उपाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा मन्दिर अधिकारी तैनात थे :–

Ø0 l0	vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री अरबिन्द कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष एवं एस0डी0एम0 रामपुर	01.01.06 से 31.10.2007
2	श्री दलीप नेगी, उपाध्यक्ष एवं एस0डी0एम0 रामपुर	01.11.07 से 03.07.2008
3	श्री गोपाल चन्द, उपाध्यक्ष एवं एस0डी0एम0 रामपुर	04.07.08 से 04.12.2009
4	श्री राजीव कुमार, उपाध्यक्ष एवं एस0डी0एम0 रामपुर	05.12.2009 से 30.04.2010
5	श्री राणा प्रीतपाल सिंह, उपाध्यक्ष एवं एस0डी0एम0 रामपुर	01.05.2010 से 31.12.2010
	<u>efUnj vf/kdkjh</u>	
1	श्री बालक राम नेगी, नायब तहसीलदार रामपुर	01.01.06 से 31.10.2007
2	श्री प्रेम सिंह नेगी, नायब तहसीलदार रामपुर	01.11.07 से 31.12.2009
3	श्री षिव लाल बंसल, तहसीलदार रामपुर	01.01.10 से 31.12.2010

Hkkx&nks

2 **or{eku vads{k.k %&**

श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर के लेखों का अवधि 01.01.06 से 31.12.10 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री एस0एस0 कायथ, सहायक नियन्त्रक व श्री रविन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04.04.2011 से 25.05.2011 तक रामपुर बुषैहर में किया गया। मास 10/2006, 02/2007, 05/2008, 8/2009, 01/2010 का चयन आय तथा मास 9/2006, 10/2007, 12/2008, 3/2009 व 10/2010 का चयन व्यय की पड़ताल हेतु किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में सम्मिलित किया गया है। अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। यह अंकेक्षण टिप्पणियां मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष किसी भी रूप में न्यास द्वारा न दी गई सूचनाओं एवं तथ्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

3 **vads{k.k 'kqYd %&**

श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर के अवधि 01.01.2006 से 31.12.2010 तक के लेखों के लेखा परीक्षण हेतु ₹35,800/–की राषि अंकेक्षण शुल्क की बनती है। सहायक नियन्त्रक की अधियाचना संख्या 1045, दिनांक 20.05.11 द्वारा उपरोक्त राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–171009 को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया।

4 **foÙkh; fLFkfr %&**

(क) श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर की अवधि 01.01.2006 से 31.12.2010 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

foÙkh; o"kZ	ikjfEHkd 'ks"k	o"kZ esa vk;	o"kZ esa C;kt	dqy vk;	o"kZ esa 0;;	vfUre 'ks"k
2006	1317962.21	4721213.00	22928.89	6062104.10	2789390.00	3272714.10
2007	3272714.10	3439648.00	87875.64	6800237.74	4272394.00	2527843.74
2008	2527843.74	7277097.00	144750.00	9949690.74	4319488.00	5630202.74
2009	5630202.74	15541682.00	128048.00	21299932.74	16124806.00	5175126.74
2010	5175126.74	9628430.00	231496.00	15035052.74	11978715.10	3056337.64

ukV %& fnukd 31-12-2010 rd lkof/k tek dk vUrxr fuos'k dh xbZ ₹6227008-00 dh

jkf’k mijkDr fudkyh x, vfUre ’k"k e ’kkfey ugh gA

दिनांक 31.12.2010 को रोकड़ (कैष बुक) अनुसार अन्तिम शेष = 3056337.64

बैंकों के विभिन्न खातों अनुसार दिनांक 31.12.2010 को जमा अन्तिम शेष का विवरण :–

cpr [kkrk l[;k	vfUre ’k"k	cd dk uke] tgk jkf’k tek dh xbl g
1	236666.00	सहकारी बैंक, सराहन
80005	466615.05	भारतीय स्टेट बैंक, सराहन
3428	921497.49	सहकारी बैंक, रामपुर
80026	978282.10	भारतीय स्टेट बैंक, सराहन
001	216493.00	यूको बैंक, रामपुर
92122	291602.00	भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर
	₹3111155-64	

jkdM+ o cd [kkrs e vUrj dk dkj.k %&

दिनांक 31.12.2010 को रोकड़ (कैष बुक) अनुसार ₹30,56,337.64 तथा बैंक खातों में ₹31,11,155.64 की राषि जमा थी। इस प्रकार रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹54,818/–का अन्तर था। उपाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित तिथियों को चैक जारी किए गए थे जो कि दिनांक 31.12.2010 तक मन्दिर न्यास के बैंक खातों में डैबिट न होने के कारण उत्पन्न हुआ।

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा खाता संख्याः 1 हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक सीमित सराहन में ₹4,082/–तथा खाता संख्याः 92122 भारतीय स्टेट बैंक रामपुर में ₹8,066/–(कुल ₹12,148/–) बैंक द्वारा ब्याज दिया गया परन्तु रोकड़ में दिनांक 31.12.2010 तक क्रैडिट नहीं किया गया। इस प्रकार ₹54,818/– की राषि का निम्नविवरणानुसार अन्तर आया :–

pd l[;k	fnukd	jkf’k	[kkrk l[;k
8383621	22.12.2010	4,800.00	सहकारी बैंक, रामपुर
8383622	22.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर
8383613	09.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर
8383614	09.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर
8383615	09.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर
8383616	09.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर

8383617	09.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर
8383618	09.12.2010	5,000.00	सहकारी बैंक, रामपुर
538020	22.12.2010	2,870.00	भारतीय स्टेट बैंक, सराहन
		₹42]670-00	
	ब्याज की राषि	₹4082-00	खाता संख्या 1
	ब्याज की राषि	₹8]066-00	खाता संख्या 92122
	dqy vUrj dh jkf'k	₹54818-00	

¼[k½ मन्दिर न्यास ने दिनांक 31.12.2010 तक निम्नलिखित राषियां सावधिक योजना के अन्तर्गत निवेष की थी। ₹6227008/—की निवेषित राषियां उपरोक्त दर्षाए गए अन्तिम शेष में शामिल नहीं थीः—

Ø0 l0	cSd dk uke	lkof/kd tek [kkrk l[;k	fuos'k dh frfFk	fuosf'kr jkf'k ¼₹½	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k ¼₹½
1	भारतीय स्टेट बैंक	991985	21.05.07	261949.00	21.05.11	381346.00
2	भारतीय स्टेट बैंक	991984	17.05.07	292668.00	17.05.11	426067.00
3	भारतीय स्टेट बैंक	263434	18.08.07	152756.00	18.08.11	222383.00
4	भारतीय स्टेट बैंक	11565982130	01.09.09	339424.00	01.09.11	383634.00
5	पंजाब नैषनल बैंक	408398	25.06.10	235935.00	25.06.11	251649.00
6	को—ऑप्रेटिव बैंक	569266	06.09.10	348242.00	06.09.2013	432647.00
7	को—ऑप्रेटिव बैंक	82512010	30.07.10	56070.00	30.07.11	59952.00
8	भारतीय स्टेट बैंक	30411078831	25.06.10	180691.00	25.06.11	191779.00
9	भारतीय स्टेट बैंक	30411095381	25.06.10	296156.00	25.06.11	314329.00
10	भारतीय स्टेट बैंक	30411096179	25.06.10	243850.00	25.06.11	258814.00
11	भारतीय स्टेट बैंक	30411095733	25.06.10	220930.00	25.06.11	234487.00
12	भारतीय स्टेट बैंक	30424441408	10.07.09	188784.00	10.07.11	200368.00
13	भारतीय स्टेट बैंक	30424439409	10.07.09	202607.00	10.07.11	215040.00
14	भारतीय स्टेट बैंक	30411096431	10.07.09	206946.00	25.06.11	219645.00
15	भारतीय स्टेट बैंक	31306319747	04.08.10	2000000.00	04.08.11	2122727.00
16	एच0डी0एफ0सी0	08054470014345	27.06.10	1000000.00	28.06.13	1249973.00
				₹6227008-00		

सावधिक जमा योजना में निवेष की गई ₹62,27,008/—की राषि को परिपक्वता तिथि को आहरित/पुनः निवेष करके रोकड़ में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर की सोना व चांदी की अवधि 01.01.2006 से 31.12.2010 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

lkuk

	Jh Hkhek dkyh th ljkgu			Jh nqxkZ ekrk efUnj gkVdkVh		
	fdyksxke	xke	fe0xke	fdyksxke	xke	fe0xke
दिनांक 01.01.06 को प्रारम्भिकि शेष	02	330	200	02	847	950
01.01.06 से 31.12.06 तक सोना प्राप्त किया गया	00	194	300	00	197	500
दिनांक 31.12.06 को कुल सोना	02	524	500	03	045	450
01.01.07 से 31.12.07 तक सोना प्राप्त किया	00	098	000	00	073	390
दिनांक 31.12.07 को कुल सोना	02	622	500	03	118	840
01.01.08 से 31.12.08 तक प्राप्त सोना	00	304	000	00	337	800
दिनांक 31.12.08 को कुल सोना	02	926	500	03	456	640
अवधि 01.01.09 से 31.12.09 को प्राप्त सोना	00	170	597	00	247	250
दिनांक 31.12.09 को कुल सोना	03	097	097	03	703	890
अवधि 01.01.10 से 31.12.10 तक प्राप्त सोना	00	190	694	00	119	059
दिनांक 31.12.10 तक कुल सोना तथा 1 नम्बर तिमोनिया हार	03	287	791	03	822	949

दोनों मन्दिरों में कुल सोना = 07 किलो, 110 ग्रा0, 740 मि0ग्राम0

v'k) pknh ¼Jh Hkhek dkyh th o Jh nqxk ekrk efUnj gkV.dkVh th½

	fdykxke	Xkke	fe0xke	flDd
दिनांक 01.01.2006 को प्रारम्भिक शेष	08	442	500	14
01.01.06 से 31.12.06 तक प्राप्त चांदी	10	190	000	
दिनांक 31.12.06 को कुल चांदी	18	632	500	14
01.01.07 से 31.12.07 तक प्राप्त चांदी	04	723	810	—
दिनांक 31.12.07 को कुल चांदी	23	356	310	14

(दिनांक 31.12.07 को कुल चांदी 23 किलोग्राम 356 ग्राम 310 मिली ग्राम को दोनों मन्दिरों में विभाजित किया गया)

	Jh Hkhek dkyh th ljkgu			Jh nqxk ekrk efUnj gkVdkVh		
	fdykxke	xke	fe0xke	fdykxke	xke	fe0xke
दिनांक 01.01.08 को प्रारम्भिकि शेष	11	678	155	11	678	155
01.01.08 से 31.12.08 तक प्राप्त चांदी	05	837	000	05	150	000
दिनांक 31.12.08 को कुल चांदी	17	515	155	16	828	155
01.01.09 से 31.12.09 तक प्राप्त चांदी	02	879	000	02	022	000
दिनांक 31.12.09 को कुल चांदी	20	394	155	18	850	155
01.01.10 से 31.12.10 तक प्राप्त चांदी	05	227	215	02	438	000
दिनांक 31.12.10 को कुल चांदी	25	621	370	21	288	155

दोनों मन्दिरों में दिनांक 31.12.10 को कुल चांदी व सिक्के = 46 किलोग्राम 909 ग्राम 525 मि0ग्राम

1 सिक्के 14

2 सिक्के 046 ग्राम

3 मुहरा तांबा सहित 400 ग्राम

'k) pkfn

	fdykxke	xke	fe0xke
दिनांक 01.01.2006 को प्रारम्भिक शेष	18	209	000

दिनांक 10.10.2007 को शीट बनाने हेतु जारी	2	885	000
दिनांक 31.12.2007 को शेष	15	324	000
दिनांक 03.01.2009 को हरषिगों की मुरम्मत हेतु जारी	(–) 00	961	000
दिनांक 05.11.2009 को माता की छड़ी की मुरम्मत हेतु जारी	(–) 00	148	000
दिनांक 31.12.2010 को शुद्ध बकाया चांदी	14	215	000

14 fdykxke 215 xke pknh

5 <u>₹261556@&dh vfxze jkf'k;ks dk lek;kstu u djuk</u> %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित राषियों का भुगतान विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम के रूप में किया गया था। यद्यपि अग्रिम राषियों के भुगतान हेतु कोई भी नियम एवं शर्त नहीं थी फिर भी संविदाकारों एंव अन्यों को अग्रिम पेषगी दी जाती रही जोकि अनियमित ही नहीं अपितु मन्दिर न्यास निधि का दुरूपयोग है। इन अग्रिम प्रदान की गई ₹2,61,556 / –की राषियों का समायोजन अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए तथा न ही अग्रिम भुगतान की गई राषियों की दण्ड ब्याज सहित वसूली ही की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अग्रिम राषियों का दुर्विनियोजन किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा इन अग्रिम भुगतान की गई राषियों के समायोजन हेतू कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। अंकेक्षण के बार–बार अनुरोध करने पर भी अग्रिम प्रदान की गई राषियों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह मामला अध्यक्ष भीमाकाली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास के ध्यानार्थ आगामी कार्यवाही हेतू लाया जाता है। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाएः–

Ø0 l0	0k0 l0	fnukad	vfxze jkf'k	ftl Hkqxrku fd;k x;k	mís';
1	260	06.03.87	10,000.00	श्री बनवारी लाल एण्ड सन्ज चण्डीगढ़	संगमरमर क्रय
2	016	24.04.87	2,500.00	बसन्त लाल सूद	निर्माण कार्य दत्त नगर
3	086	04.05.87	11,477.00	श्री बनवारी लाल एण्ड सन्ज चन्डीगढ़	संगमरमर क्रय
4	97	13.07.87	10,000.00	श्री बनवारी लाल एण्ड सन्ज चण्डीगढ़	संगमरमर क्रय
5	132	13.08.87	10,000.00	श्री बनवारी लाल एण्ड सन्ज चण्डीगढ़	संगमरमर क्रय
6	186	16.10.87	10,000.00	श्री बनवारी लाल एण्ड सन्ज चण्डीगढ़	संगमरमर क्रय
7	230	06.12.88	2,500.00	तारा चन्द	लकड़ी चिरान

8	232	15.12.88	20,000.00	कृष्ण कुमार	बिरोजा निकालने
9	233	26.12.88	2,500.00	तारा चन्द	लकड़ी चिरान
10	235	27.01.89	20,000.00	कृष्ण कुमार	बिरोजा निकालने
11	85	03.05.89	5,000.00	जय लाल कपूर	संगमरमर क्रय
12	64	18.05.91	5,279.00	श्याम लाल	पत्थर बिछाने
13	123	28.06.91	2,000.00	श्याम लाल	पत्थर बिछाने
14	169	25.05.94	1,000.00	श्याम लाल	मजदूरों को सलैब डालने
15	581	30.11.94	2,400.00	शेर सिंह मिस्त्री	अग्रिम वेतन
16	823	08.01.95	500.00	कर्म चन्द	अग्रिम वेतन
17	954	10.03.95	6,000.00	मनोहर लाल	शटरिंग कार्य
18	952	10.03.95	9,000.00	एस0डी0एम0	चान्दी कार्य
19	117	05.05.89	4,000.00	कृष्ण कुमार	बिरोजा निकालने
20	118	05.05.89	1,500.00	जय लाल कपूर	संगमरमर क्रय
21	168	19.10.88	500.00	तारा चन्द	लकड़ी चिरान
22	236	22.07.05	3,000.00	जिला भाषा अधिकारी	मोनोग्राफ के प्रकाषन हेतु
23	418	21.10.05	40,000.00	मैं0 एस0 एन0 प्रिंटर दिल्ली	कलैण्डर क्रय
24	419	21.10.05	5,000.00	श्री सतीष कष्यप जिला भाषा अधिकारी	छडिया क्रय
25	1541	31.03.05	32,400.00	सचिव हि0प्र0 कला संस्कृति भाषा अकादमी षिमला	प्रसिद्ध मन्दिरों के लोकगाथा गीत भक्ति कैसट आदि तैयार करने हेतु
26	602	07.01.06	10,000.00	एस0एस0 चौहान वकील	रोहडू में केसों की फीस
27	707	08.03.06	6,000.00	एस0एस0 चौहान वकील	रोहडू में केसों की फीस
28	8	10.04.06	10,000.00	जय नन्द पुजारी	शादी बारे अग्रिम
29	520	26.12.06	10,000.00	एस0एस0 चौहान, वकील	रोहडू में केसों की फीस
30	1161	02.01.09	6,000.00	नदीम लेबर	रघुनाथ जी में निर्माण कार्य
31	730	24.12.10	3,000.00	गोबिन्द सिंह प्लम्बर	सेनीटेषन कार्य
			₹2]61]556-00		

6 fdjk;s dh ₹8]82]796@&dh jkf'k dh olwyh u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान मकानों व दुकानों के किराये रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित किरायेदारों से दिनांक 31.12.2010 तक बकाया किराये की राषि वसूली हेतु लम्बित पड़ी थी। श्री भीमाकाली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास के प्राधिकारियों द्वारा किराये की बकाया राषि वसूलने हेतु कोई ठोस पग नहीं उठाये गए हैं इन किरायेदारों में से कुछ स्वर्गवास हो गए हैं कुछ के तबादले दूसरे स्थानों को हो गए हैं और कुछ के मामले न्यायालय में निर्णय हेतु विचारधीन है।

किरायेदारों से बकाया राषि की वसूली हेतु शीघ्र ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

Ø0 l0	edku@nqdku u0	fdjk;snkj dk uke	i"B la[;k	fnukad 31-12-10 dks cdk;k fdjk;s dh jkf'k ¼₹½
1	89 (27 & 28)	श्री नरदेव सिंह	7	11,940.00
2	89 (33)	श्री जयदेव	9	4,725.00
3	89 (7 & 23)	श्री देवकी नन्द	13	13,024.00
4	89 (8)	श्री चमन लाल	19	2,950.00
5	89 (13)	श्री धर्मानन्द	21	5,154.00
6	89 (25)	श्री बकषी राम	23	4,836.00
7	89 (9)	श्री ज्ञान चन्द	25	6,500.00
8	89 (16)	श्री बाला राम	27	1,497.00
9	89 (14 & 27)	श्री रतन चन्द	28	17,400.00
10	89 (22)	श्री दुर्गा दास	30	7,850.00
11	–	श्री गोकुल राम	31	6,450.00
12	89 (12)	श्री बीजा राम	33	8,788.00
13	89 (11)	श्री औंकार चन्द	37	1,345.00
14	–	श्री वंषी लाल	37	150.00
15	–	श्री एल0आर0 वर्मा	37	1,425.00
16	89 (25)	श्री सूद राम	38	4,400.00
17	–	श्री सरन दास महन्त	40	3,076.00
18	89 (22)	श्री दर्षन दास	41	1,754.00
19	89 (35)	श्री मुकन्द लाल	43	16,519.00
20	–	श्री विष्वकर्मा इण्डस्ट्री	45	44,360.00
21	–	श्री मति बाई देवी	191	1,950.00
22	89 (4)	श्री मति सरला चौहान	48	19,600.00
23	89 (14)	श्री टिकमी राम	123	1,970.00

24	89 (30)	श्री देवानन्द	53	1,695.00
25	89 (28)	श्री लक्ष्मी नन्द	54	6,492.00
26	89 (23)	श्री मोहन लाल	55	1,290.00
27	89 (126)	श्री दुर्गा दास	56	5,350.00
28	89 (33)	श्री मति लखपति	57	1,150.00
29	–	श्री चन्दू लाल	58	2,050.00
30	–	श्री षिव दत्त	59	7,395.00
31	–	श्री दर्षन दास	61	7,777.00
32	–	श्री करतार सिंह	125	8,500.00
33	–	श्री मारू राम	65	10,285.00
34	89 (20)	श्री जगदीष चन्द	68	430.00
35	–	श्री किषोरी लाल	69	5,200.00
36	89 (6)	श्री मोहन लाल	72	12,100.00
37	40 (1)	श्री सिद्धू राम	74	775.00
38	40 (2)	श्री शंकर दास	75	2,007.00
39	40 (3)	श्री लक्ष्मी दास	76	486.00
40	40 (4)	श्री षिव लाल	77	4,355.00
41	40 (5)	श्री धर्मा नन्द	78	7,240.00
42	40 (6)	श्री भगवान दास	79	2,431.00
43	40 (7)	श्री मति कौषल्या देवी	80	7,700.00
44	40 (11)	श्री भगत राम	81	1,600.00
45	40 (12)	श्री मति ज्ञान वती	82	12,975.00
46	–	श्री बनारसी दास	85	9,610.00
47	40 (17)	श्री प्रीतम सिंह	86	1,150.00
48	–	श्री श्याम लाल	86	4,200.00
49	40 (18)	श्री राम कृष्ण	87	5,883.00
50	–	श्री धर्मानन्द	88	1,070.00
51	–	श्री नवीन कुमार	88	540.00

52	—	श्री प्रीतम सिंह	89	2,208.00
53	40 (14)	श्री विषम्बर दास	90	2,600.00
54	—	श्री बाबू राम	91	500.00
55	—	श्री कुलदीप	94	373.00
56	—	कमाण्डैण्ट होम गार्ड	95	1,378.00
57	—	श्री जीवणू राम	96	62.00
58	—	सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग	97	816.00
59	—	श्री देवा नन्द	98	1,164.00
60	—	श्री बाबू राम	99	120.00
61	—	श्री ज्ञान चन्द	102	310.00
62	—	श्री गुरजीत सिंह	103	100.00
63	—	श्री बाबू राम	104	15,010.00
64	—	श्री गोकुल राम	105	46760.00
65	—	श्री मति लीला	106	9,300.00
66	—	श्री दौलत राम	107	2,700.00
67	—	तहसील सहकारी संघ रामपुर	127	3,300.00
68	—	श्री मति गफूर बीबी	145	2,000.00
69	—	श्री विषम्बर दास	237	1,350.00
70	—	श्री के0सी0 आजाद	111	1,896.00
71	—	श्री विधि चन्द	112	5,775.00
72	—	श्री धानू राम	113	8,000.00
73	—	श्री मति गरजा देवी	337	600.00
74	—	श्री नानक चन्द	115	2,825.00
75	89 (16)	श्री केष्वर शर्मा	116	360.00
76	—	श्री ओम प्रकाष	117	440.00
77	—	श्री इन्द्र देव	117	1,275.00
78	—	श्री मति अयोध्या देवी	119	3,100.00
79	89 (11)	श्री लक्ष्मण शर्मा	112	2,500.00

80	–	श्री सरजू राम	126	2,750.00
81	–	श्री दुर्गा दास	128	4,525.00
82	दुकान नं0 1	श्री मति पूर्ण कला	134	34,800.00
83	दुकान नं0 2	श्री प्रताप सिंह	145	36,000.00
84	दुकान नं0 3	श्री महेन्द्र ठाकुर	229	1,28,000.00
85	दुकान नं0 4	श्री सुनील ठाकुर	231	98,500.00
86	दुकान नं0 5	श्री वीरेन्द्र शर्मा	235	43,000.00
87	दुकान नं0 9	श्री चन्द्र मोहन	237	99,000.00
				₹8]82]796-00

7 ¼d½ foJke xg o ljk; l ikIr vk; dk njh l tek djuk ¾&

अंकेक्षण के दौरान सराय व विश्राम गृह सराहन की आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि विश्राम गृह व सराय से प्राप्त निम्नलिखित आय को हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियम खण्ड–1 के नियम 2. 4 के प्रावधानों के अनुसार बैंक में समय पर जमा नहीं किया गया है, जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है। प्राप्त की गई आय को अनावष्यक रूप से कई दिनों तक हस्तगत रखना एक प्रकार से अस्थाई दुर्विनियोजन है। अतः निम्न प्रकरणों में विलम्ब से राषि जमा करने का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में मन्दिर न्यास की प्राप्त आय को अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी से दण्ड ब्याज सहित वसूली की जाए।

jkf'k ikIr djus dh vof/k	jkf'k ikIr dh xbZ ¼₹½	cSad esa tek djus dh frfFk
15.09.06 से 06.10.06	35,150/–	11.10.06
06.10.06 ये 13.10.06	16,550/–	17.10.06
22.05.08 से 03.09.08	5,200/–	05.09.08
26.10.06 से 30.10.06	6,000/–	04.11.06
19.04.08 से 11.05.08	25,650/–	22.05.08
11.05.08 से 31.05.08	27,100/–	04.06.08

¼[k½ foJke xg l ikIr ₹200@& dh jkf'k de tek djuk ¾&

अंकेक्षण के दौरान विश्राम गृह से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 11.05.08 से 31.05.08 तक रसीद संख्याः 8962 से 9016 के द्वारा ₹27300/–की राषि मन्दिर न्यास को

प्राप्त हुई परन्तु बैंक में दिनांक 04.06.08 को केवल ₹27100/–की राषि ही जमा करवाई गई। इस प्रकार ₹200/–की राषि कम जमा करवाई गई जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाएं।

¼x½ ₹48300@&nqdkuksa ds fdjk;s dh jkf'k dh de olwyh djuk ¾&

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में किरायेदारों से दुकानों का किराया पूर्व में निर्धारित किराये से ₹48300/–कम किया गया जिसका विवरण नीचे दर्षाया गया है। जिससे मन्दिर न्यास को प्रत्यक्ष रूप से 48300/–की हानि हुई है। अतः ₹48300/–किराया निर्धारित दर से कम करने बारे नियमों/प्रावधानों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की उचित माध्यम से वूसली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

vkcafVr O;fDr dk uke	nqdku dk uEcj	fu/kkZfjr ekfld fdjk;k ¼₹½	de fd;k x;k fdjk;k ¼₹½	de fdjk;k fy;k x;k	vof/k ftlds fy, fdjk;k de fd;k x;k	dqy ekl	dqy de olwy fd;k x;k fdjk;k ¼₹½
अमर सिंह	1	5100/–	4600/–	500/–	01.02.08 से 31.03.09	14	7000/–
अमर सिंह	1	5100/–	4400/–	700/–	01.04.09 से 31.12.10	21	14700/–
चन्द्र मोहन	9	6100/–	5400/–	700/–	01.11.07 से 31.12.10	38	26600/–
				dqy de fd;k x;k fdjk;k			₹48300@&

¼?k½ ;wdks cSad ls ₹10000@&dh de olwyh ¾&

अंकेक्षण के दौरान यूको बैंक को ए0टी0एम0 हेतु किराये पर जगह देने से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि यूको बैंक को अखाड़ा बाजार में ए0टी0एम0 लगाने हेतु ₹5000/–प्रति माह की दर से न्यास बैठक दिनांक 10.02.2009 के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा स्थान प्रदान किया गया। मन्दिर न्यास व यूको बैंक के मध्य इकरारनामा अनुसार ए0टी0एम0 मषीन हेतु स्थान माह अक्तूबर, 2009 से दिया गया और इस प्रकार नियमानुसार किराया भी इसी मास से लिया जाना अपेक्षित था परन्तु किराये की वसूली माह दिसम्बर, 2009 से आरम्भ की गई। इस प्रकार दो माह 10/09 व

11/09 तक ₹10000/–किराये की वसूली नहीं की गई। जिस कारण मन्दिर न्यास को ₹10000/–का नुकसान उठाना पड़ा। अतः उक्त ₹10000/–की किराए की कम वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 ¼d½ v;k/;k ukFk efUnj e: nqdku uEcj 1 dk vfu;fer vkcaVu ¼&

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अयोध्या नाथ मन्दिर परिसर में दुकान नम्बर 1 के आबंटन हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। दुकान के आबंटन हेतु श्री रचित सूद जिसे दुकान आबंटित की गई द्वारा 856 वर्ग फुट क्षेत्र हेतु ₹40/–प्रति वर्ग फुट की दर से 856 x 40 = ₹34240/- प्रति माह किरायए के हिसाब से आवेदन किया गया जबकि एक अन्य व्यक्ति श्री अनिल कुमार द्वारा 856 वर्ग फुट के लिए अलग–अलग क्षेत्र हेतु अलग–अलग दर पर आवेदन किया गया। जिसके अनुसार श्री अनिल कुमार का मासिक किराया ₹43036/–प्रति मास बनता था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा तुलनात्मक विवरण बनाते समय श्री अनिल कुमार के आवेदित क्षेत्र को कम दर्षाकर मासिक किराया 29520/–प्रति मास दर्षाया गया जिसका पूरा विवरण नीचे दर्षाया गया है। तत्पष्चात अनिल कुमार का किराया कम दर्षाकर श्री रचित सूद को दुकान का आबंटन किया गया जिससे मन्दिर न्यास को प्रतिमाह ₹8796/– (43036 – 34240) का नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसका ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित चूक कर्त्ता के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई अम्ल में लाई जाए ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं न दोहराई जाएं।

vkosnd Jh vfuy dqekj

rqyukRed fooj.k e: fy;k x;k fdjk;k				RkqyukRed fooj.k e: fy;k tku: okyk fdjk;k			
	{k= ifr oxZ QqV	nj ifr oxZ QqV	fy;k x;k fdjk;k		{k= ifr oxZ QqV	nj ifr oxZ QqV	fy;k x;k fdjk;k
दुकान नं0 1	110	111	12210/-	दुकान नं0 1	110	111	12210/-
दुकान नं0 2	110	101	11110/-	दुकान नं0 2	110	101	11110/-
हॉल	200	31	6200/-	हॉल	636	31	19716/-
dqy {k=	420 oxZ QqV	dqy fdjk;k	**₹29520/-**	dqy {k=	856 oxZ QqV	dqy fdjk;k	**₹43036/-**

¼[k½ vkcafVr nqdkuk dk le; ij djkjukek u djuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान आबंटित दुकानों के अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा आबंटित दुकानों के करारनामें का नवीनीकरण समय रहते नहीं किया जा रहा है जिसका विवरण नीचे दर्षाया गया है उक्त दुकानों से किराये की वसूली भी नियमित रूप से नहीं की जा रही थी जिससे मन्दिर न्यास को ब्याज के रूप में निष्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि दुकानों के करारनामा का शीघ्र नवीनीकरण किया जाए तथा दुकानदारों से पिछले बकाया किराये तथा मासिक किराये की वसूली सुनिष्चित की जाए अन्यथा दुकानों के आबंटन को रद्द करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Øe l[;k	nqdku dk uEcj	vkcafVr O;fDr dk uke	vkcaVu dh frfFk	Djkjukek uohuhdj.k dh frfFk	31-12-10 dks olwyh gsrq cdk;k fdjk;k ¼₹½	fdjk;k izfr ekl ¼₹½
1	3	महेन्द्र ठाकुर	20.02.06	20.02.09	128000/—	3000/—
2	4	सुनील ठाकुर	16.02.06	16.02.09	98500/—	3000/—
3	5	योगेष्वर मैहता	31.03.06	31.03.09	—	3000/—
4	6	विरेन्द्र शर्मा	31.08.06	31.08.09	43000/—	3000/—
5	9	चन्द्र मोहन	18.03.06	18.03.09	99000/—	5400/—

¼x½ <u>₹9600@&jlhn dh ewy izfr jí djus ds ckn vfHkys[k esa miyC/k u gksuk</u> ½&

अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा ₹9600/— मुल्य की रसीदें काटने के बाद रद्द की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है नियमानुसार रसीद रद्द होने के बाद उसकी मूल प्रति अभिलेख में उपलब्ध होनी चाहिए। रसीद रद्द करने के बाद मूल प्रति अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण उसके दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आष्य के साथ लाया जाता है कि निम्न प्रकरणों में विभागीय स्तर पर पड़ताल करके यह सुनिष्चित किया जाए की रसीद का दुरूपयोग तो नहीं हुआ है तथा इस सन्दर्भ में कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह सुनिष्चित किया जाए कि यदि कोई रसीद रद्द की जाती है तो उसकी मूल प्रति अभिलेख में उपलब्ध रहे।

uke ftlds i{k esa jlhn dkVh xbZ	jlhn la[;k	fnukad	jkf'k ftruh dh jlhn dkVh xbZ ¼₹½
चन्द्र मोहन	11690	18.07.07	6100/—
कुलदीप कुमार	12045	06.02.10	3500/—

dqy jkf'k ₹9600@&

9 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास के दान पात्रों को 3 व 4 महीनों व इस से अधिक अन्तराल के उपरान्त खोला जा रहा है जिससे कई लाख रुपये की राषियां प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। उपरोक्त मन्दिर न्यास के दान पात्रों को इतनी देरी से खोलने से प्राप्त की जा रही राषियों पर हजारों रुपये ब्याज की क्षति बहन करनी पड़ रही है जिसके लिए मन्दिर न्याय प्रबन्धक ही जिम्मेदार है। मन्दिर न्यासों के दान–पात्रों को काफी समय उपरान्त खोलने का औचित्य सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि बैंकों द्वारा केवल जमा राषि पर ब्याज दिया जाता है न की दान पात्रों में जमा राषि पर। भविष्य में बिना किसी देरी के इन दान–पात्रों से प्राप्त आय को मास में एक बार इक्टठा करना सुनिष्चित करें तथा नियमानुसार बैंकों में जमा करवाएं ताकि जमा राषि पर ब्याज प्राप्त किया जा सके और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼1½ Jh Hkhek dkyh th ljkgu ½&

vof/k	nku ik=ksa ls izkIr jkf'k ¼₹½
13.05.2006 से 21.08.2006	3,72,660/–
23.10.2006 से 09.01.2007	2,58,875/–
10.01.2007 से 23.04.2007	4,10,973/–
26.06.2007 से 08.10.2007	3,05,154/–
09.10.2007 से 15.02.2008	5,63,462/–
16.02.2008 से 17.05.2008	4,31,049/–
18.05.2008 से 04.08.2008	3,43,239/–
05.08.2008 से 14.01.2009	3,36,085/–
15.01.2009 से 21.04.2009	5,37,081/–
16.10.2009 से 23.01.2010	4,68,033/–
24.01.2010 से 09.04.2010	5,17,501/–
24.06.2010 से 15.09.2010	5,87,732/–

¼2½ Jh nqxkZ ekrk efUnj gkVdksVh

17.12.2005 से 31.07.2006	1,44,304/–
01.08.2006 से 20.12.2006	47,775/–
21.12.2006 से 23.05.2007	96,098/–

24.05.2007 से 12.10.2007	1,09,538/—
13.10.2007 से 04.04.2008	95,417/—
05.04.2008 से 30.07.2008	1,55,414/—
31.07.2008 से 23.11.2008	1,19,820/—
24.11.2008 से 07.06.2009	1,86,200/—
08.06.2009 से 22.10.2009	1,88,822/—
23.10.2009 से 01.01.2010	49,666/—
02.01.2010 से 25.04.2010	1,10,916/—
26.04.2010 से 05.04.2011	2,88,088/—

10 foKkiuk ij ₹9]36]387@&dk vuqi;ksxh O;; %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा छोटी—छोटी पत्रिकाओं व स्मारिकाओं में विज्ञापनों पर बहुत अधिक राषियां व्यय की जा रही हैं जोकि अनुचित है। विज्ञापन हेतु मन्दिर न्यास द्वारा कलैण्डर, डायरी, कार्ड, ग्रिटिंग, घड़ियां, फोल्डर तथा मोनोग्राफ अलग से छपाए तथा बेचे जा रहे हैं। सिटी चैनल तथा वैबसाईट पर विज्ञापन अलग से दिए जा रहे हैं जिससे मन्दिर न्यास की आय के साथ—साथ प्रचार/प्रसार भी हो रहा हैं श्री भीमाकाली जी एंव अन्य मन्दिर समूह न्यास जो अपने कर्मचारियों को वेतन इत्यादि के भुगतान के लिए सरकार के अनुदान पर आश्रित हो उस निधि में से विज्ञापन पर अधिक व्यय उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः विज्ञापन पर 9 वर्षों में ₹9,36,387/—के अनुपयोगी व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में मन्दिर के विज्ञापनों पर कम से कम व्यय किया जाए तथा ऐसे माध्यमों से विज्ञापन दिए जाएं जहां अधिक से अधिक श्रद्धालुगण उसे पढ़ सके। विज्ञापन पर किए गए व्यय का वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

o"kZ	foKkiu ij O;; ¼₹½
2002	37,375/—
2003	21250/—
2004	57000/—
2005	51898/—
2006	57990/—
2007	1,84,836/—
2008	77000/—
2009	2,23,105/—
2010	2,25,933/—
	₹9]36]387@&

o"k 2006 ls 2010 rd dh foKkiu ij 0;; dh nf"Vxr fuEu fooj.kkuqlkj mn?kkfVr fd, tk jgs gS %&

okÅpj l[;k	fnukd	jkf'k ¼₹½	foKkiu grq ftl Hkxrku fd;k x;k
742	31.03.2006	9990/-	पंजाब केसरी
743	31.03.2006	2500/-	दिव्य हिमाचल
744	31.03.2006	5000/-	दिव्य हिमाचल
745	31.03.2006	4500/-	एन0आई0सी0 वैबसाईट
746	31.03.2006	6000/-	दैनिक भास्कर
7	12.04.06	1000/-	हाटेष्वरी समाचार
55	20.05.06	10000/-	उपायुक्त षिमला
107	01.06.2006	3000/-	हिम स्मृति संजौली षिमला–6
108	01.06.06	3000/-	हिमाचल प्रदेष क्रिएटिव राईटर्स फोरम षिमला
297	21.09.06	3000/-	अजीत समाचार
336	09.10.06	5000/-	अजीत समाचार
402	03.11.06	5000/-	अजीत समाचार
		57990@&	
552	08.01.07	5000/-	दैनिक भास्कर
553	08.01.07	4796/-	अजीत समाचार
554	08.01.07	10000/-	अमर उजाला
555	08.01.07	10000/-	ब्लैक पेन्चर बॉलीवाल क्लब
556	10.01.07	5040/-	दैनिक जागरण
626	15.02.07	10000/-	एस0डी0एम0 रामपुर लवी सोविनियर 2006
629	22.02.07	5000/-	दिव्य हिमाचल
140	28.05.07	10000/-	एस0डी0एम0 रोहड़ू सोविनियर रोहड़ू मेला 07
141	28.05.07	12500/-	जिलाधीष षिमला समर फैस्टीवल 2007
		184836@&	
544	08.01.08	35000/-	एस0डी0एम0 रामपुर लवी मेला स्मारिका 2006
1024	04.11.08	10000/-	एस0डी0एम0 रामपुर लवी मेला स्मारिका 2007
1025	04.11.08	15000/-	एस0डी0एम0 रामपुर लवी मेला सीविनियार 08
1070	03.12.08	2000/-	जय हिमाचल हिन्दी समाचार

1073	04.12.08	5000 / —	आप का फैसला
1149	19.12.08	5000 / —	दी ट्रिब्यून
1150	19.12.08	5000 / —	दैनिक भास्कर
		77000@&	
1153	02.01.09	5000 / —	दिव्य हिमाचल प्रकाषन
1154	02.01.09	5000 / —	दा टाईम्स
1155 & 1156	02.01.09	15000 / —	अमर उजाला प्रकाषन
1324	24.03.09	3600 / —	दिव्य हिमाचल
1325	24.03.09	1200 / —	दिव्य हिमाचल
1326	24.03.09	5000 / —	अमर उजाला
1403	16.04.09	2040 / —	आपका फैसला
1404	16.04.09	3880 / —	दैनिक जागरण
106	03.06.09	25000 / —	जिलाधीष षिमला समर फैस्टीवल 2009
183	07.07.09	12000 / —	ए0डी0सी0 षिमला
322	22.08.09	1394 / —	दिव्य हिमाचल
520	27.10.09	100000 / —	एस0डी0एम0 रामपुर लवी मेला 2009
606	04.12.09	3000 / —	प्राध्यापक संघ हिमाचल प्रदेष
607	04.12.09	5000 / —	अमर उजाला
608	04.12.09	7140 / —	दी ट्रिब्यून चण्डीगढ़
609	04.12.09	8984 / —	दिव्य हिमाचल
674	04.12.09	5000 / —	आपका फैसला
675	04.12.09	5000 / —	जन पक्ष मेल
676	04.12.09	2499 / —	अजीत समाचार
677	04.12.09	7368 / —	जागरण प्रकाषन
		223105@&	
700	04.01.10	2000 / —	जय हिमाचल
765	04.02.10	3000 / —	दैनिक भास्कर
766	04.02.10	5000 / —	दैनिक भास्कर
767	04.02.10	5000 / —	पेन प्रिंट
768 से 771	04.02.10	13133 / —	अमर उजाला
811	24.02.10	5000 / —	पंजाब केसरी

851	10.03.10	10000／—	अजीत समाचार
40	19.04.10	3000／—	पंजाब केसरी
103	29.04.10	5000／—	ग्रीष्मोत्सव 2010 सोविनियर
287	22.07.10	10000／—	पंजाब केसरी
590	08.11.10	125000／—	लवी मेला 2010 समारिका प्रकाषन
642	09.12.10	5000／—	जय हिमाचल
643	09.12.10	5000／—	दि ट्रिब्यून ट्रस्ट
644	09.12.10	5000／—	जागरण प्रकाषन
645	09.12.10	5000／—	आपका फैसला
646	09.12.10	5000／—	दिव्य हिमाचल
647	09.12.10	5000／—	दैनिक भास्कर
681	22.12.10	4800／—	अजीत समाचार
682	22.12.10	5000／—	अमर उजाला
		₹225933@&	

11 njHkk"k d fcyk dk vfu;fer :i l Hkxrku %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास रामपुर के दूरभाष के बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा दूरभाष बिलों का औसत से अधिक राषि का भुगतान किया गया है। दूर संचार विभाग से विस्तृत (डिटेलड) बिल प्राप्त करके दुरूपयोग किए गए फोन की राषि की वसूली उचित माध्यम से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में टेलीफोन के दुरूपयोग से बचने हेतु टैलीफोन काल रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिष्चित किया जाए :–

njHkk"k uEcj 234054 ¼jkeij dk;kZy;½

okÅpj l[;k	fnukd	jkf'k	vof/k
656	23.03.2002	2404／—	01.01.02 से 28.02.02
874	29.07.2002	2069／—	01.05.02 से 30.06.02
983	03.10.2002	1845／—	01.07.02 से 31.08.02
1095	23.11.2002	1728／—	01.09.02 से 31.10.02
679	15.01.2004	2015／—	01.11.03 से 31.12.03
796	04.03.2004	1692／—	01.01.04 सें 29.02.04

905	14.05.2004	2559 / —	01.03.04 से 30.04.04
1109	16.09.2004	3084 / —	01.07.04 से 31.08.04
1253	20.11.2004	3187 / —	01.09.04 से 31.10.04
1419	22.01.2005	2365 / —	01.11.04 से 31.12.04
105	19.05.2005	2090 / —	01.03.05 से 30.04.05
238	25.07.2005	3593 / —	01.05.05 से 30.06.05
354	21.09.2005	3406 / —	01.07.05 से 31.08.05
481	23.11.2005	2996 / —	01.09.05 से 31.10.05
611	20.01.2006	2422 / —	01.11.05 से 31.12.05
732	20.03.2006	3021 / —	01.01.06 से 28.02.06
96	23.05.2006	4886 / —	01.03.06 से 30.04.06
177	20.07.2006	4710 / —	01.07.06 से 31.10.06
566	18.01.2007	4984 / —	01.11.06 से 31.12.06
664	23.03.2007	4649 / —	01.01.07 से 28.02.07
88	21.05.2007	7032 / —	01.03.07 से 30.04.07
247	21.07.2007	4293 / —	01.05.07 से 30.06.07
361	20.09.2007	4683 / —	01.07.07 से 31.08.07
475	31.10.2007	5666 / —	01.09.07 से 31.10.07
551	16.01.2008	2876 / —	01.11.07 से 31.12.07
636	17.03.2008	3573 / —	01.01.08 से 28.02.08
759	14.05.2008	5169 / —	01.03.08 से 30.04.08
872	19.07.2008	4172 / —	01.05.08 से 30.06.08
922	17.09.2008	2320 / —	01.07.08 से 31.08.08
1060	03.12.2008	2140 / —	01.09.08 से 31.10.08
1189	21.01.2009	2155 / —	01.11.08 से 31.12.08
1334	25.03.2009	2022 / —	01.01.09 से 28.02.09
44	01.06.2009	1791 / —	01.03.09 से 30.04.09
218	23.07.2009	3791 / —	01.05.09 से 30.06.09
420	28.09.2009	3394 / —	01.07.09 से 31.08.09
581	24.11.2009	3169 / —	01.09.09 से 31.10.09
686	28.01.2010	2254 / —	01.11.09 से 31.12.09

877	20.03.2010	1890 / —	01.01.10 से 28.02.10
245	05.07.2010	1478 / —	01.03.10 से 30.04.10
517	07.10.2010	3591 / —	01.05.10 से 31.07.10
498	06.10.2010	1654 / —	01.08.10 से 30.09.10

njHkk"k uEcj 274248 ¼l jkgu efUnj dk;ky;½

okÅpj l[;k	fnukd	jkf'k	vof/k
1043	27.07.2004	3234 / —	01.05.04 से 30.06.04
1110	16.09.2004	2368 / —	01.07.04 से 31.08.04
237	25.07.2005	1405 / —	01.05.05 से 30.06.05
355	21.09.2005	1245 / —	01.07.05 से 31.08.05
483	23.11.2005	1352 / —	01.09.05 से 31.10.05
95	23.05.2006	1609 / —	01.03.06 से 30.04.06
176	20.07.2006	1533 / —	01.05.06 से 30.06.06
302	25.09.2006	1599 / —	01.07.06 से 31.08.06
473	23.11.2006	1799 / —	01.09.06 से 31.10.06
565	18.01.2007	3012 / —	01.11.06 रै 31.12.06
132	21.05.2007	2428 / —	01.03.07 रै 30.04.07
266	31.07.2007	1969 / —	01.05.07 रै 30.06.07
473	31.10.2007	2031 / —	01.09.07 से 31.10.07
876	24.07.2008	2414 / —	01.05.08 से 30.06.08

12 ekckby dh [kjhn ,o mi;kx ij vfu;fer 0;; ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 27, दिनांक 30.01.2003 द्वारा ₹6250 / —की राषि का सैमसंग 220 मॉडल मोबाईल फोन क्रय किया गया। मोबाईल फोन क्रय करने हेतु हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(एल0ए0)सी(14)1 / 83, दिनांक 10.02.1997 के अनुसार प्रतिबन्ध था तथा इसका क्रय केवल माननीय मुख्यमंत्री की सहमति / स्वीकृति से ही किया जा सकता था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा फोन क्रय करने के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त निम्नलिखित राषियां अवधि 01.02.2003 से 31.12.2005 तक उपरोक्त फोन के मासिक बिलों पर व्यय किए गए हैं।

vof/k ekckby Qku d fcyk ij dy 0;;

01.02.2003 से 31.12.2003	11880 / —
01.01.2004 से 31.12.2004	10514 / —
01.01.2005 से 31.12.2005	14320 / —
01.01.2006 से 31.12.2006	14283 / —
01.01.2007 से 31.12.2007	15994 / —
01.01.2008 से 29.02.2008	920 / —
	₹67911@&

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मोबाईल फोन क्रय करने पर ₹6250 / —तथा इसके अतिरिक्त मासिक बिलों के भुगतान पर 61 मास में ₹67911 / —व्यय किए गए हैं। उक्त व्यय मन्दिर न्यास निधि पर उचित प्रभार नहीं है क्योंकि यह मन्दिर न्यास सरकारी अनुदान / सहायता से चलाया जा रहा है मन्दिर न्यास में विभिन्न निर्माण कार्यों एवं कार्यरत स्टॉफ के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु सरकारी सहायता प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जाती है। हिमाचल प्रदेष सरकार के आदेषानुसार मोबाईल फोन का बिल मन्दिर न्यास निधि से भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि मन्दिर न्यास में पहले ही दो टैलीफोन रामपुर कार्यालय व सराहन कार्यालय में लगे हैं। अतः मोबाईल फोन के क्रय तथा मासिक बिलों पर हुए अवधि 01.02.2003 से 29.02.2008 तक कुल व्यय ₹67911 / —की राषि को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी से मोबाईल फोन पर किए गए अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए।

13 fctyh d fcyk dk vf/kHkkj d :i e vf/kd Hkxrku ¼&

¼d½ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद करने के कारण अधिभार का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों की छानबीन करके सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करके अतिरिक्त राषि के अधिक भुगतान की वसूली सुनिष्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ok0 l0	fnukd	fctyh ehVj l[;k	n; frfFk dk fd;k tku okyk Hkxrku	okLro e fd;k x;k Hkxrku	vf/kHkkj d :i e vf/kd Hkxrku
476	31.10.07	आर0बी0एन0डी0एस0—2	2970 / —	2998 / —	28 / —
480	31.10.07	आर0बी0एन0डी0एस0—5	7315 / —	7378 / —	63 / —
505	31.12.07	एच0आई0सी0—8	3031 / —	3061 / —	30 / —

506	31.12.07	एन0डी0एन0सी0—एच0आई0डी0 2/23	8340/—	8423/—	83/—
507	31.12.07	एच0आई0सी0—12	23875/—	24114/—	239/—
				d|y ;kx	₹443@&

¼[k½ njHkk"k fcyk dk foyEc l tek dju ij vf/kHkkj d :i e vf/kd Hkxrku ½&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा टैलीफोन के बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद करने के कारण अधिभार का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित व घोर लापरवाही है। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यों की छानबीन करके उचित माध्यम से अतिरिक्त राषि के रूप में किए गए अनियमित भुगतान की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ok0 l0	fnukd	VyhQku uEcj	n; frfFk dk fd;k tku okyk Hkxrku	okLro e fd;k x;k Hkxrku	vf/kHkkj d :i e vf/kd Hkxrku
473	31.10.07	274278	1991/—	2031/—	40/—
475	31.10.07	234054	5516/—	5666/—	150/—
519	31.12.07	203001	1422/—	1462/—	40/—
1060	03.12.08	234054	2070/—	2140/—	70/—
1062	03.12.08	274248	843/—	863/—	20/—
1215	02.02.09	274248	843/—	863/—	20/—
				d|y jkf'k	₹340@&

14 Ø; fd, x, lkeku dh LVkd ifof"V u djuk ½&

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर निधि से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था परन्तु क्रय किए गए सामान की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में क्रय किए गए सामान की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में निम्न क्रय किए गए सामान तथा तत्सम्बन्धी उपयोग की प्रविष्टियां की जाएं तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अभिलेख सहित सतयापनार्थ प्रस्तुत करें तथा भविष्य में समय—समय पर क्रय की गई सामग्री की

साथ–साथ ही सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां एवं उपयोग सम्बन्धी प्रविष्टियाँ की जानी सुनष्चित की जाए।

ok0 l0	fnukd	jkf'k ¼₹½	lkeku dk fooj.k	Qe dk uke ftl ls Hkqxrku fd;k x;k
228	26.07.2006	12950/–	बौद्ध मन्दिर हेतु कपड़ा	एच0एच0दा धर्मषाला
594	24.01.2007	36486/–	मैट्रसज गद्दा बैड शीट	जे0के0 सन्ज
595	24.01.2007	10000/–	सौफा सैट	हिमालयन फर्नीचर इण्डस्ट्री
608	03.02.2007	2299/–	हीटर 5 नम्बर	मै0 दीपक इलैक्ट्रीकल
609	03.02.2007	5486/–	तौलिया, बैड शीट आदि	साघु राम किषोरी लाल
639	26.02.2007	10000/–	एम्पलीफायर	सूद इलैक्ट्रोनिकस
642	26.02.2007	7862/–	4 दान पात्र	जगदम्बा स्टील फैबरीकेषन
655	23.03.2007	8500/–	50 सी0एफ0एल	दीपक इलैक्ट्रीकल
136	21.05.2007	12700/–	12 नं0 लैम्प	देवकी नन्द
237	09.07.2007	20020/–	1090 मोनोग्राफ अंग्रेजी	एच0एन0प्रिंटर देहली–32
252	23.07.2007	2995/–	घास काटने की मषीन	रूप ट्रेडर्ज
406	26.10.2007	3850/–	प्रैषर कुकर व थाली	शम्भु राम दीप चन्द
421	26.10.2007	38930/–	24 नं0 एच0पी0 17 लैम्प	गिल्टन इलैक्ट्रीकल चण्डीगढ़
438	26.10.2007	7200/–	विजिटिंग कार्ड	रामपुर आफसैट लि0
452	31.10.2007	2800/–	20 कम्बल	जुगल किषोर संतोष कुमार
459	01.10.2007	50391/–	विभिन्न प्रकार का कपड़ा	जुगल किषोर संतोष कुमार
502 बी	01.12.2007	3117/–	बिजली फिटिंग का सामान	देवकी नन्द एण्ड सन्ज़
520	31.12.2007	3322/–	मैट 30 मीटर	जे0के0 सन्ज
523	31.12.2007	500/–	हीटर सिंगल रोड	देवकी नन्द एण्ड सन्ज़
579	01.02.2008	11250/–	25 बोरी कच्चा कोयला	विशम्बर कुमार किन्नु
647	17.03.2008	18171/–	ग्रीन कोटा स्टोन	रूप ट्रेडर्ज़ रामपुर
1074	11.12.2008	28465/–	जूट मैटिंग	जे0के0 सन्ज़
1078	11.12.2008	1200/–	3 हीटर डबल रोड	–
1213	02.02.2009	13390/–	50 नं0 कम्बल	जुगल किषोर
16	19.04.2010	3037/–	मग, बालटी, टी सैट	जगन नाथ एण्ड कम्पनी

15 fufonk,i vkefU=r fd, fcuk vfu;fer [kjhn %&

अंकेक्षण के दौरान भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि भुगतान वाऊचरों द्वारा निम्नलिखित सामान क्रय किया गया था परन्तु सामान के क्रय से पूर्व कोई भी निविदायें आमन्त्रित नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह पड़ताल नहीं की जा सकी कि क्रय किया गया सामान वास्तव में न्यूनतम बाजार दरों पर क्रय किया गया था। बिना निविदायें आमन्त्रित किए विविध सामान क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न प्रकरणों में सक्षम अधिकारी/मन्दिर न्यास की कार्योत्तर स्वीकृति से संलिप्त व्यय को नियमित किया जाए तथा भविष्य में विविध सामान क्रय करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही सामान क्रय किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि बाजारी दर प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सके व अपव्यय से बचा जा सके।

okÅpj la[;k	fnukad	jkf'k ¼₹½	Ø; fd, x, lkeku dk fooj.k
228	26.07.06	12950/—	बौद्ध मन्दिर हेतु कपड़े का क्रय
624	19.02.07	14352/—	100 स्कूल बैग क्रय किए गए
137	21.05.07	10000/—	चौबच्चा मन्दिर में पेड़ की छांग (कटाई)
225	03.07.07	31380/—	श्री श्राई कोटी मन्दिर को रेत व सीमेन्ट की ढुलाई
276	01.08.07	13200/—	श्री श्राई कोटी मन्दिर को रेत व सीमेन्ट की ढुलाई
900	08.08.08	11000/—	श्री श्राई कोटी मन्दिर को रेत की ढुलाई
1288	09.03.09	11250/—	मन्दिर सराहन हेतु कोयले का क्रय
668	04.12.09	5620/—	बिजली फिटिंग
158	11.06.10	4800/—	बिजली फिटिंग
442	14.09.10	20172/—	अरवाड़ा मन्दिर में रंगरोगन
466	01.10.10	8970/—	वर्दी की सिलाई

16 ₹11165@&dh jkf'k dk vfu;fer O;; ½&

₹40800/—की राशि का वाऊचर संख्याः 401, दिनांक 03.11.2006 व वाऊचर संख्या 623, दिनांक 07.02.2007 से मैं0 रामपुर आफसैट प्रिंटर को उनके बिल संख्या 440, दिनांक शून्य द्वारा मन्दिर न्यास के 10000 कलैण्डर वर्ष 2007 के छापने/क्रय हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि क्रय किए गए 10000 कलैण्डर की स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 175 पर की गई थी तथा उपरोक्त 10000 कलैण्डरों में से केवल 5927 कलैण्डर ₹5/—प्रति कलैण्डर की दर से वर्ष 2007 में बेचे गए थे तथा रोकड़ अनुसार ₹29635/—की राषि प्राप्त की गई थी और 4073 कलैण्डर अंकेक्षण की अवधि तक शेष पड़े थे अर्थात बिक नहीं सके। इस प्रकार आवष्यकता से अधिक मन्दिर न्यास के कलैण्डर छापने व क्रय करने के

कारण मन्दिर न्यास को ₹11165/—की राषि की हानि उठानी पड़ी जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। मन्दिर न्यास को हुई ₹11165/—की राषि की हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनाधिकृत रूप से व्यय की गई राषि की उचित माध्यम से वसूली सुनिष्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 ₹10000@&dk nks ckj Hkqxrku djuk %&

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न विज्ञापनों को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि अन्तराष्ट्रीय लवी मेला 2006 की स्मारिका में श्री भीमाकाली जी एवं मन्दिर न्यास समूह के विज्ञापन हेतु ₹10000/—का दो बार भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

okÅpj la[;k	fnukad	jkf'k	ftls Hkqxrku fd;k x;k
626	15.02.07	10000/—	अध्यक्ष लवी मेला 2006
544	08.01.08	35000/—	अध्यक्ष लवी मेला 2006

जिलाधीष एवं अध्यक्ष लवी मेला के यू0ओ0न0एस0एम0एल0—ए0डी0एन0 (एल0 ओर सी0) रीड/लवी 2006—1367, दिनांक 20.11.07 द्वारा ₹35000/— उपरोक्त स्मारिका हेतु न प्राप्त होने की वजह से वाऊचर संख्या 544 दिनांक 08.01.08 द्वारा भुगतान किया गया जबकि कुल राषि ₹35000/— में से ₹10000/—की राषि का भुगतान वाऊचर संख्याः 626, दिनांक 15.02.2007 द्वारा पहले ही कर दिया गया था। इस प्रकार ₹10000/—की राषि का अन्तराष्ट्रीय लवी मेला 2006 की स्मारिका हेतु दो बार भुगतान किया गया था जोकि अनियमित ही नहीं अपितु मन्दिर न्यास की गैर जिम्मेदाराना कार्य प्रणाली को भी दर्षाता है व इस प्रकार की लापरवाही से मन्दिर न्यास को ₹10000/—का अनावष्यक रूप से अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। अतः उक्त प्रकरण में सत्यापन किए बिना ही भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और ₹10000/—की अधिक जारी की गई राषि की उचित माध्यम से वसूली सुनिष्चित की जाए।

18 okÅpj la[;k 228] fnukad 26-07-2006] jkf'k ₹12950@&

¼d½ ₹12950/—की राषि का भुगतान मैं0 एच0एच0दा0 अपर धर्मषाला को उनके बिल संख्या 000308, दिनांक 05.07.2006 द्वारा बौद्ध मन्दिर में दलाई लामा की गद्दी हेतु कपड़े का क्रय व सिलाई के लिए किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि गलत गणना के काण ₹12950/–की राषि का भुगतान किया गया था जबकि सही गणना के अनुसार ₹11900/–की राषि का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार ₹1050/– (12950 –11900) की राषि के अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करके मन्दिर निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ <u>okÅpj l[;k 436] fnukd 26-10-2007] jkf’k ₹12000@&</u>

₹12000/–की राषि का भुगतान श्री कपिल शर्मा को सराहन मन्दिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस भुगतान से सम्बन्धित न तो कोई बिल/उप वाऊचर/पावती इत्यादि अभिलेख में मौजूद थी तथा न ही उपरोक्त भुगतान हेतु नियमानुसार मन्दिर न्यास की स्वीकृति ली गई थी जो कि अनियमित है। बिना बिल/वाऊचर के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और सम्बन्धित अभिलेख आवष्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा किए गए भुगतान की उचित माध्यम से वसूली करके मन्दिर निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ <u>okÅpj l[;k 1288] fnukd 09-03-2009] jkf’k ₹11250@&</u>

₹11250/– की राषि का भुगतान श्री रमेष चन्द गांव किन्नु को 25 बोरी कोयला क्रय हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 152 पर की गई थी और यह कोयला श्री भीमा काली जी मन्दिर सराहन को जारी किया गया था परन्तु कोयला के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान बार–बार अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिस के अभाव में क्रय किए गए कोयला की उपयोग की सत्यापना की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आवष्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा क्रय किए गए 25 बोरी कोयला के मुल्य की वसूली उचित माध्यम से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए।

¼?k½ <u>okÅpj l[;k 535 ¼,½] fnukd 01-01-2008] jkf’k ₹13500@&</u>

₹13500/–की राषि का भुगतान पुर्नष्चर्या प्रषिक्षण कार्यक्रम हेतु जिस का आयोजन दिनांक 28.12.2007 से 12.01.2008 तक तामिलनाडु में किया गया, हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि पुर्नष्चर्या कार्यक्रम हेतु ₹4500/–प्रति पुजारी की दर से भुगतान किया गया परन्तु भुगतान से सम्बन्धित विवरण जैसे कि कितना आने–जाने का किराया दिया गया, दैनिक भत्ता इत्यादि अभिलेख में मौजूद न था जिसके अभाव में भुगतान की गई राषि की सत्यापना नहीं की जा सकी। बिना रसीद/उप वाऊचर के पुजारियों को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए अन्यथा भुगतान की गई राषि की उचित माध्यम से वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 ₹55510@&dh jkf'k dk Mqiyhd\V fcyk\ l\ fcuk fu/kkfjr iek.k i=k dk vfdr fd, Hkxrku djuk

अंकेक्षण के दौरान भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा डुपलीकेट बिलों से विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया था। डुपलीकेट बिलों से विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दर्षाए गए प्रमाण पत्र अंकित नहीं थे जैसे कि इस बिल का भुगतान इस के पहले नहीं किया गया था यदि मूल बिल प्राप्त हो जाए तो उस का भुगतान भविष्य में नहीं किया जाएगा इत्यादि। अतः निर्धारित प्रमाण पत्रों के डुपलीकेट बिलों पर अंकित किए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और निर्धारित प्रमाण पत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अंकित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में डुपलीकेट बिलों से भुगतान करने से परिहार किया जाए अन्यथा पहले अभिलेख की आवष्यक पड़ताल करके ही भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए :–

okÅpj l[;k	fnukd	jkf'k ¼₹½	ftl s Hkxrku fd;k x;k
624	19.02.2007	14352/–	मै0 जे0के0 सन्ज रामपुर
772	31.10.2009	3399/–	हि0प्र0 पर्यटन विकास निगम, सराहन
27 से 29	30.05.2009	37759/–	मैं0 पी0डी0 शर्मा एण्ड सन्ज रामपुर
	dy ;kx	₹55510@&	

20 ₹11581@&dh jkf’k dk oV d : i e vf/kd Hkxrku ¼&

अंकेक्षण के दौरान भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा श्री विनोद कुमार चौहान, संविदाकार को सामान क्रय करने पर वैट का भुगतान किया गया था

जबकि निविदा दिनांक 17.02.2009 व 07.05.2009 में सामान क्रय करने पर वैट की कोई शर्त नहीं थी। उपरोक्त निविदाओं द्वारा दूसरा सामान भी क्रय किया गया उस पर भी वैट लगाने की कोई शर्त नहीं थी। इस प्रकार संविदाकार को वैट के रूप में ₹11581/–की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित है। अतः मन्दिर न्यास निधि से अनियमित रूप से भुगतान की गई वैट की राशि की उचित माध्यम से शीघ्र वसूली सुनिष्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

okÅpj l[;k	fnukad	jkf'k ¼₹½	oV dh jkf'k ¼₹½	Hkqxrku fd;k tkuk Fkk
1387	09.04.2009	74976/–	8331/–	66645/–
21	11.05.2009	29250/–	3250/–	26000/–
		dqy ;ksx	₹11581@&	

21 ₹4000@&dh jkf'k dk vfu;fer Hkqxrku %&

₹18450/–की राशि का वाऊचर संख्या 98, दिनांक 01.06.2009 द्वारा श्री विनोद कुमार चौहान को सेनिटरी फिटिंग के सामान क्रय करने हेतु भुगतान किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त क्रय किए गए सामान में किचिंन सिंक 18" X 24" साईज के 4 नग का मुल्य 1250/–की दर से ₹5000/–की राशि का क्रय किया गया परन्तु किचिंन सिंक 18" X 24" साईज का निविदा दिनांक 24.03.2009 में ₹250/–प्रति नग था जबकि भुगतान ₹1250/–की दर से किया गया। इस प्रकार ₹1000/–(1250 – 250) प्रति किचिंन सिंक की दर से ₹4000/–की राशि का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया, जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई ₹4000/–की राशि की उचित माध्यम से वसूली सुनिष्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 lafonkdkj dks ₹13371@&dh jkf'k dk vf/kd@vfu;fer Hkqxrku %&

₹1,75,897/–की राशि का वाऊचर संख्या 491, दिनांक 31.10.2007 का भुगतान श्री दिनेष कुमार, संविदाकार नोगली को उनके बिल संख्या 496, दिनांक 12.10.2007 श्री भीमा काली जी मन्दिर सरहान (पुराना मन्दिर व विश्राम गृह) में 58632.50 वर्ग फुट का ₹3/–प्रति वर्ग फुट की दर से रंग रोगन हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि वाऊचर के साथ संलग्न की गई 6 पृष्टों की पैमाईष के अनुसार कुल कार्य मात्र 58632.50 वर्ग फुट का भुगतान किया गया जबकि पैमाईष की

सही गणना अनुसार 54175.50 वर्ग फुट रंग रोगन करने का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार 4457 वर्ग फुट (58632.50 – 54175.50) का ₹3/–प्रति वर्ग फुट की दर से ₹13371/–की राषि का अधिक भुगतान किया गया था जिस की उचित माध्यम से शीघ्र वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 <u>₹7000@&dh jkf'k dk lfonkdkj dk vf/kd Hkxrku</u> %&

₹93100/–की राषि का वाऊचर संख्या 226, दिनांक 24.07.09 से श्री विनोद कुमार चौहान, संविदाकार को अयोध्यानाथ मन्दिर रामपुर के दूसरी मंजिल पर स्लैव डालने हेतु लेबर रेट पर किया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्या 3 ''प्रोवाइडिंग माईलज स्टील/टोर स्टील रिइनफोरसमैंट हेतु 7000 किलोग्राम का ₹9/–प्रति किलोग्राम लेबर रेट की दर से ₹63000/–की राषि का भुगतान किया गया परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु ली गई निविदा दिनांक 16.05.2009 द्वारा ली गई दर ₹8/–प्रति किलोग्राम थी और इस निर्माण कार्य हेतु यही लेबर रेट दर से भुगतान किया जाना वांछित था। इस प्रकार ₹1/–(9–8) प्रति किलोग्राम की दर से 7000 किलोग्राम हेतु ₹7000/–की राषि का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था। अतः अधिक/अनियमित भुगतान ₹7000/–की उचित माध्यम से शीघ्र वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

24 <u>vuqeku rFkk rduhdh Lohd`fr fy, fcuk vfu;fer Hkqxrku</u> %&

¼d½ लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि दिसम्बर, 2010 तक निम्न विवरणानुसार ₹58,04,003/–के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था जिस हेतु न तो अनुमान/प्राक्कलन तैयार किए गए थे तथा न ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी जो कि अनियिमत ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। निर्माण कार्यों का नियमानुसार आंकलन/प्राक्कलन तैयार किए बिना निष्पादन किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों के अनुमान/प्राक्कलन तैयार करके तकनीकी अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए व भविष्य में मन्दिर न्यास के निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेष सरकार के निर्माण कार्य व्यय के समरूप हिमाचल प्रदेष सरकार के निर्माण कार्य नियमों के अनुसार ही निष्पादित किए जाने सुनिष्चित किए जाएं।

Øe la[;k	fuekZ.k dk;Z dk uke	fnukd 31-12-10 rd fd;k x;k 0;; ¼₹½

1	गुफा मन्दिर रामपुर का मुरम्मत कार्य	6,41,954 ⁄ –
2	शोपिंग कम्पलैक्स रामपुर	22,46,321 ⁄ –
3	कम्युनिटी हॉल रामपुर	18,01,028 ⁄ –
4	प्रोवाईडिंग एण्ड लेपिंग कोटा स्टोन ऐट शराई कोटी	11,14,700 ⁄ –
		₹58]04]003@&

¼[k½ इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास के निर्माण कार्यों का निष्पादन संविदाकारों ⁄ मन्दिर न्यास मजदूरों द्वारा लेबर रेट पर किए गए हैं और समस्त निर्माण कार्य सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, इमारती लकड़ियां व विभिन्न सेनिटरी फिटिंग, पानी की फिटिंग, बिजली फिटिंग इत्यादि सामान मन्दिर न्यास द्वारा क्रय किया गया तथा निर्माण कार्यों को जारी किया गया परन्तु निर्माण कार्यों के चलत ⁄ अन्तिम बिलों के साथ निर्माण सामग्री के उपयोग सम्बन्धी विवरणिका संलग्न नहीं की गई थी जिस के अभाव में जारी की गई निर्माण सामग्री के उपयोग की सत्यापना की पड़ताल नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्त अनियमित प्रक्रिया अपनाने के कारण जारी की गई निर्माण सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह अनियमित मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है और उनसे अनुरोध हे कि समस्त निर्माण कार्यों के अनुमान ⁄ प्राक्कलन तैयार किए जाएं जिन्हें प्रषासनिक स्वीकृति के साथ–साथ तकनीकी अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए व अनुपालना हेतु आगामी अंकेक्षण में सत्यापना प्रस्तुत करें। इस के अतिरिक्त निर्माण कार्यो को जारी सामग्री के उपयोग सम्बन्धी विवरण भी तैयार किया जाए तथा शेष बची निर्माण सामग्री को मन्दिर न्यास भण्डार को वापिस किया जाए अन्यथा नियमानुसार संविदाकार से वसूली सुनिष्चित की जाए।

25 fuek.k dk;l e ₹1998015@&d dk;l dh fjdkM ifof"V;k eki ifLrdk e ntl u djuk

निर्माण कार्य का नाम — अयोध्या नाथ मन्दिर परिसर में मकानों ⁄ दुकानों का निर्माण

संविदाकार का नाम — विनोद चौहान

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2009 में अयोध्या नाथ मन्दिर के समीप कर्मचारियों के लिए आवास ⁄ किराये हेतु दुकानों के निर्माण कार्य का ठेका श्री विनोद चौहान, संविदाकार को लेबर रेट पर दिया गया उक्त निर्माण कार्य हेतु मन्दिर न्यास द्वारा ₹1998015 ⁄ –का भुगतान श्री विनोद चौहान को किया गया परन्तु निर्माण कार्य की मदों की रिकॉर्ड प्रविष्टियां जैसे कि मद का विवरण मद की पैमाईष कितनी लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई इत्यादि माप पुस्तिका में दर्ज नहीं की गई जिसके अभाव में मद की भुगतान की गई मात्रा की

सत्यापना नहीं की जा सकी। नियमानुसार निर्माण कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरान्त ही संविदाकार को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार मद की पैमाईष की रिकॉर्ड प्रविष्टियों के बिना भुगतान किया जाना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। मद की रिकॉर्ड प्रविष्टियों के अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि संविदाकार को जो भुगतान किया गया था वास्तव में उतने निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया था या नहीं। मद की कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टिों के बिना अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्य की मद की पैमाईष की माप पुस्तिका में रिकॉर्ड प्रविष्टियों के बिना संविदकार को ₹1998015/–की राषि का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आषय के साथ लाया जाता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य की विभागीय स्तर पर जाँच पड़ताल करके माप पुस्तिका में ओवर ऑल पैमाईष की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ की जाएं जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ताकि निष्पादन की गई मद की कार्य मात्रा तथा भुगतान की गई कार्य मात्रा की सत्यापना की पड़ताल की जा सके।

उक्त निर्माण काय्र में संलिप्त ₹1998015/–के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :–

okÅpj l[;k	fnukad	jkf'k ¼₹½
1330	24.03.09	71100/–
1375	27.03.09	175000/–
1376	27.03.09	55800/–
1424	23.04.09	35000/–
1425	23.04.09	29075/–
1426	23.04.09	25410/–
1455	27.04.09	115750/–
13	04.05.09	118967/–
15	04.05.09	61368/–
21	11.05.09	29250/–
99	01.06.09	50080/–
130	09.06.09	23285/–
149	12.06.09	88490/–
155	23.06.09	26541/–
226	24.07.09	93100/–
256	05.08.09	34656/–
303	10.08.09	58760/–
304	10.08.09	13700/–
328	27.08.09	77850/–

346	03.09.09	64542/—
394	11.09.09	50517/—
433	05.10.09	54515/—
544	04.11.09	339825/—
546	04.11.09	62215/—
561	19.11.09	119568/—
562	19.11.09	78050/—
645	04.12.09	45601/—
	कुल योग	₹1998015/-

26 (क) निर्माण कार्य में अधिक दर से भुगतान करने पर ₹4842/-का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्य का नाम — शौपिंग काम्पलैक्स नर्सिंग मन्दिर फेज I व II

संविदाकार का नाम — केवल राम लुनी

माप पुस्तिका पृष्ठ — 40

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को निर्माण कार्य के मद संख्याः 4 ''प्रोवाइडिंग एण्ड लाईंग आर0सी0सी0 वर्क 1:2:4 हेतु अनुमोदित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने पर ₹4842/—का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्य में ₹4842/—के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

निर्माण कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (₹)	दर जिस पर भुगतान किया गया (₹)	अनुमोदित दर व भुगतान की गई दर का अन्तर (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
प्रोवाइडिंग एण्ड लेंईंग आर0सी0सी0 वर्क 1:2:4 एकसकलूसिव फार्म वर्क	2x26.9x6x0.10=32.28 घन मी0	3850/—	4000/—	150/—	4842/—

(ख) निर्माण कार्य में गलत गणना के कारण ₹377/-का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्य का नाम		शापिंग काम्पलैक्स नर्सिंग मन्दिर फेज I व II

संविदाकार का नाम		केवल राम लुनी

माप पुस्तिका पृष्ठ		55

उपरोक्त निर्माण कार्य के चलत बिल संख्याः 5 की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्याः 5 प्रोवाईडिंग माईलड स्टील/टोर स्टील में स्टील की खपत की गणना गलत की गई जिस कारण संविदाकार को ₹377/–का अधिक भुगतान किया गया स्टील की गणना का विवरण नीचे दिया गया है। संविदाकार को ₹377/–अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

fuekZ.k dk;Z dk uke	LVhy dh fdLe	eki iqfLrdk esa yh xbZ LVhy dh ek=k	vkd{k.k x.kuk vuqlkj LVhy dh ek=k	Ekki iqfLrdk esa yh xbZ vf/kd ek=k	Hkqxrku dh nj	vf/kd Hkqxrku
प्रोवाइडिंग माईलड स्टील/ टोर स्टील रीईन्फोर्समैन्ट फोर आर0सी0सी0 वर्क	10mm	1603.95Rmt x .39 = 633.56 kg	1603.95mt x 0.39 = 625.54 kg	8.02 kg	47/–	377/–

¼x½ <u>okÅpj la[;k 289] fnukad 29-07-10] i"B 71</u> ¾&

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल पर पाया गया कि श्री केवल राम लुनी, संविदाकार को डेमोलिषन ऑफ बिल्डिंग नर्सिंग मन्दिर हेतु ₹163293/–का भुगतान किया गया परन्तु उक्त राषि में से 2.2 की दर से आय कर व 2% की दर से बिक्री कर काटा जाना वांछित था परन्तु संविदाकार से आय कर ₹3592/–तथा बिक्री कर ₹3266/–की राषि की कटौती नहीं की गई जोकि अनियमित है। अतः कुल ₹6858/–की राषि की संविदाकार से कटौती/वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

27 ¼d½ <u>₹68272@&dh lafonkdkj ls vk;dj o fcØh dj dh dVkSrh u djuk</u> ¾&

निर्माण कार्य का नाम		कम्नयूटी हॉल व सौंदर्यकरण नर्सिंग मन्दिर

संविदाकार का नाम		विनोद चौहान

अनुमानित लागत		₹18,01,028/–

उपरोक्त निर्माण कार्य के चलत बिलों की पड़लात पर पाया गया कि संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु भुगतान करते समय आय कर व बिक्री कर की नियमानुसार कटौती नहीं की गई। नियमानुसार आय कर की कटौती चलत बिल की राषि के 2 .2% की दर से तथा बिक्री कर की कटौती 2% की दर से की जानी आपेक्षित है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान करते समय आय कर की कटौती 1% की दर से तथा बिक्री कर की कटौती ही नहीं की गई जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। उक्त निर्माण कार्य में संविदाकार को भुगतान करते समय आयकर व बिक्री कर की नियमानुसार कटौती न करने से सरकारी कोष को ₹68272/–का नुकसान पहुंचाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः आयकर व बिक्री कर की ₹68272/–की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली उचित माध्यम से करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

Pkyr fcy l0	eki iqfLrdk i0 l0	fnukd	jkf'k	vk; dj dh 2-2% dh nj ls dVkSrh dh jkf'k	vk; dj dh xbZ dVkSrh	vk; dj dh dqy de dVkSrh	fcØh dj dh 2% dh nj ls dVkSrh dh jkf'k	vk; dj o fcØh dj dqy de dVkSrh ¼₹½
प्रथम चलत बिल	35 व 36	12.01.10	267789	5891	2678	3213	5356	8569
प्रथम चलत बिल(ए)	36	28.01.10	72678	1599	727	872	1454	2326
द्वितीय चलत बिल	106 से 108	04.10.10	587455	12924	5875	7049	11749	18798
तृतीय चलत बिल	109 से 110	18.10.10	317715	6990	2938	4052	6354	10406
चतुर्थ चलत बिल	112 से 113	28.11.10	391829	8620	3644	4976	7837	12813
पंचम चलत बिल	115 से 116	28.12.10	469001	10318	4338	5980	9380	15360
						dqy de dVkSrh		₹68272

¼[k½ ₹83247@&dh lafonkdkj ls vk;dj o fcØh dj dh dVkSrh u djuk %&

निर्माण कार्य का नाम	शापिंग काम्पलैकस फेज 1 व 2 नर्सिंग मन्दिर
संविदाकार का नाम	केवल राम लुनी
अनुमानित लागत	₹22,46,321/–

उपरोक्त निर्माण कार्य के चलत बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु भुगतान करते समय आयकर व बिक्री कर की नियमानुसार कटौती नहीं की गई। नियमानुसार आयकर की कटौती चतल बिल की राषि के 2 .2% की दर से तथा बिक्री कर की कटौती 2% की दर से की जानी आपेक्षित थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा चलत बिलों का भुगतान करते समय आयकर की कटौती 1% की दर से तथा बिक्री कर की कटौती ही नहीं की गई जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। उक्त निर्माण कार्य में नियमानुसार कटौती न करने से सरकारी कोष को ₹83247/—का नुकसान पहुंचाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः आयकर व बिक्री कर की ₹83247/—की राषि की कम कटौती का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली उचित माध्यम से करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

Pkyr fcy l0	eki iqfLrdk i0 l0	fnukd	jkf'k	vk; dj dh 2-2% dh nj ls dVkSrh dh jkf'k	vk; dj dh xbZ dVkSrh	vk; dj dh dqy de dVkSrh	fcØh dj dh 2% dh nj ls dVkSrh dh jkf'k	vk; dj o fcØh dj dqy de dVkSrh ¼₹½
प्रथम चलत बिल	37 व 39	25.04.10	448463	9866	4485	5381	8969	14350
द्वितीय चलत बिल	40 से 41	30.05.10	477212	10499	4770	5729	9544	15273
तृतीय चलत बिल	46 से 49	24.09.10	649128	14281	6331	7950	12983	20933
चतुर्थ चलत बिल	51 से 53	07.10.10	475000	10450	4630	5820	9500	15320
पंचम चतल बिल	54 से 58		538580	11849	5250	6599	10772	17371
						dqy de dVkSrh		₹83247

28 ₹3229794@&dk fu{ksi fuekZ.k dk;ksa gsrq tkjh jkf'k ds mi;ksfxrk izek.k i= o dk;Z iw.kZ izek.k i= izkIr u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित राषियों का भुगतान विभिन्न विभागों को निक्षेप निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु किया गया था परन्तु सम्बन्धित विभागों से न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे तथा न ही कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे जिसके अभाव में भुगतान की गई राषि की उपयोगिता की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः

सम्बन्धित विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए ताकि भुगतान की गई राषि की उपयोगिता की पुष्टि हो सके और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

okÅpj l[;k	fnukad	jkf'k ¼₹½	ftl Hkqxrku fd;k x;k	Hkqxrku dk mís';
138	22.05.2007	5,00,000	अधिषाषी अभियन्ता हि0प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग रामपुर	अयोध्या नाथ मन्दिर के सार्वजनिक भवन का निर्माण
139	22.05.2007	2,00,000	अधिषाषी अभियन्ता हि0प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग रामपुर	नरसिंह मन्दिर रामपुर का नव निर्माण
616	26.02.2008	7,00,000	अधिषाषी अभियन्ता हि0प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग रामपुर	नरसिंह मन्दिर रामपुर का नव निर्माण
1135	15.12.2008	10,00,000	सहायक अभियन्ता हि0प्र0राज्य विघुत परिषद	एस0 ओ0 पी0 कर्मषियल कम्पलैक्स अखाड़ा मन्दिर
1195	02.02.2009	4,11,530	वरिष्ठ अधिषाषी अभियन्ता	एस0 ओ0 पी0 कर्मषियल कम्पलैक्स अखाड़ा मन्दिर
518	27.10.2009	2,18,264	अधिषाषी अभियन्ता वी0 एण्ड आर0	शौचालय ब्लाक सराहन मन्दिर
519	27.10.2009	2,00,000	एस0डी0एम0 रोहडू	रघुनाथ बड़ा अखाड़ा दषालनी रोहड़ू की मुरम्मत हेतु
	dqy ;ksx	₹32]29]794		

29 ¼d½ ;k=k HkÙkk nkoksa dk vfu;fer Hkqxrku ¼&

अंकेक्षण के दौरान भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मन्दिर न्यास कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावे के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र करके मन्दिर न्यास में जमा की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में यात्रा भत्ता दावों का निर्धारित दरों/नियमों के अनुसार ही भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए :–

Okk0 l0	fnukad	jkf'k tks n;	vf/kd Hkqxrku	deZpkjh dk uke o

		Hkqxrku dh xbZ ¼₹½	jkf'k ¼₹½	dh xbZ jkf'k ¼₹½	inuke
552	28.10.10	1200	1072	128	भगत सिंह, कनिष्ठ सहायक
394	16.10.07	932	836	96	हरदयाल सिंह सुपरवाईजर

¼[k½ अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 10/2010 में भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मस्ट्रोलों द्वारा मेसन व पैन्टर को सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन–(पी0आर0)बी(7)–15/98–3, दिनांक 30.01.2009 द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर से दिहाड़ी का भुगतान किया गया था जो कि अनियमित है। अधिक भुगतान की गई राषि की शीघ्र वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए :–

¼1½ okÅpj l[;k 508] fnukad 06-10-2010] jkf'k ₹30555@&eLVksy ekl 9@2010

Ø0 l0	uke o inuke	ftrus fnuks dk Hkqxrku fd;k x;k	ftl nj ls Hkqxrku fd;k x;k	fu/kkZfjr nj	vf/kd nj ls Hkqxrku fd;k x;k	vf/kd Hkqxrku dh xbZ jkf'k ¼₹½
1	शत्रुघन मेसन	12	199.00	150.00	49.00	588.00
2	शम्बो मेसन	12	199.00	150.00	49.00	588.00
3	मेहर सिंह मेसन	5	199.00	150.00	49.00	245.00
4	लक्ष्मन पेंटर	14	199.00	150.00	49.00	686.00
5	नन्द लाल पेंटर	14	199.00	150.00	49.00	686.00
6	सुनील पेंटर	14	199.00	150.00	49.00	686.00
7	चौरासिया पेंटर	14	199.00	150.00	49.00	686.00

¼2½ okÅpj l[;k 500] fnukad 06-10-10] jkf'k ₹5572@& eLVksy ekl 9@2010

1	शेरसिंह कारपेंटर	28	199.00	150.00	49.00	1372.00
				dqy vf/kd Hkqxrku		₹5537@&

30 xyr osru c<ksrjh ds dkj.k ₹12160@&dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku %&

मन्दिर न्यास की बैठक दिनांक 07.10.2008 के प्रस्ताव। संख्या 8 द्वारा मन्दिर न्यास में कार्यरत कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार वेतन बढ़ौतरी दिनांक 01.10.2008 से दी गई :–

1	कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक व प्रर्यवेक्षक	= 25%
2	15 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके कर्मचारी	= 20%
3	10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच कार्य कर चुके कर्मचारी	= 15%
4	10 वर्ष से कम कार्य कर चुके कर्मचारी	= 10%

न्यास के उपरोक्त प्रस्ताव। अनुसार कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया गया।

अंकेक्षण के दौरान वेतन निर्धारण की पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री कंवर रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी सराहन की तैनाती दिनांक 04.05.2003 को की गई तथा दिनांक 30.09.2008 तक उनका सेवा कार्यकाल 5 वर्ष 5 मास था और 30.09.2008 को उनका वेतन ₹3870/—था। न्यास के उपरोक्त वेतन बढ़ौतरी के प्रस्ताव। अनुसार 10 वर्ष से कम कार्यकाल वाले कर्मचारियों को 10% वेतन बढ़ौतरी दी जानी थी परन्तु उनको 15% वेतन बढ़ौतरी दी गई। इस प्रकार दिनांक 01.10.2008 से 31.05.2009 तक श्री कंवर रविन्द्र प्रताप सिंह को ₹1520/—की राषि का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया :—

ey osru	c<kSrjh nh xbZ	c<kSrjh nh tkuh Fkh	vf/kd c<kSrjh nh xbZ	dqy vf/kd Hkqxrku
3870	15% = 580.00	10% = 390.00	5% = 190.00	1520.00

¼[k½ इसी प्रकार मन्दिर न्यास के प्रस्ताव। संख्या 4, दिनांक 21.06.2009 द्वारा कार्यालय कर्मचारियों को 20% वेतन बढ़ौतरी तथा अन्य कर्मचारियेां को 10% वेतन बढ़ौतरी दिनांक 01.06.2009 से दी गई।

osru c<kSrjh nh xbZ	osru c<kSrjh nh tkuh Fkh	vf/kd c<kSrjh nh xbZ
4450.00 + 445(10%) = 4895.00	4260.00 + 425 = 4685.00	210.00

अवधि 01.06.2009 से 30.09.10 तक अधिक भुगतान किया गया = 210 x 16 = 3360.00

¼x½ मन्दिर न्यास के प्रस्ताव। संख्या 11 दिनांक 15.10.10 द्वारा 10 वर्ष से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को 20% की बढ़ौतरी दिनांक 01.10.10 से दी गई।

vof/k	osru c<kSrjh nh xbZ	osru c<kSrjh nh tkuh Fkh	vf/kd c<kSrjh nh xbZ	dqy vf/kd Hkqxrku
01.10.10 से 31.05.11	4895 + 980 = 5875.00	4685 + 935 = 5620	255.00	255 x 8 = 2040

इस प्रकार श्री कंवर रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी सराहन को गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹1520 + 3360 + 2040 = ₹6920 की राषि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी शीघ्र वसूली करके मन्दिर न्यास खाते में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

¼?k½ इसी प्रकार मन्दिर न्यास के सराहन मन्दिर में कार्यरत श्री शमषेर सिंह, टहलु की नियुक्ति दिनांक 20.02.1994 को की गई थी और दिनांक 30.09.2008 तक उनका सेवा कार्य काल 14 वर्ष 7 मास 10 दिन था और 30.09.2008 को उनका वेतन ₹2820/—था न्यास के उपरोक्त वेतन बढ़ौतरी के प्रस्ताव। अनुसार 10 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य कार्यकाल वाले कर्मचारी को 15% वेतन बढ़ौतरी दी जानी थी जबकि उन को 20% वेतन बढ़ौतरी दी गई। इस प्रकार निम्नविवरणानुसार श्री शमशेर सिंह, रहलु को ₹5240/—का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए और अधिक भुगतान की गई राषि को उचित माध्यम से शीघ्र वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए :—

vof/k	osru c<krjh nh xbZ	osru c<krjh nh tkuh Fkh	vf/kd Hkqxrku fd;k x;k
1.10.08 से 31.05.09	2820 x 20% = ₹3385/-	2820 x 15% = ₹3245/-	140 x 8 = ₹1120/-
01.06.09 से 30.09.10	3385 x 10% = 3725/-	3245 x 10% = ₹3570/-	155 x 16 = ₹2480/-
01.10.10 से 31.05.11	3725 x 30% = 4845/-	3570 x 30% = ₹4640/-	205 x 8 = ₹1640/-
			₹5240/-

31 <u>nSfud osru Hkksxh deZpkfj;ksa dks vfxze osru jkf'k dk Hkqxrku djuk</u> %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास ने निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की थी और उन्हें वेतन अग्रिम का भुगतान किया गया था जिसकी मासिक दर से वेतन से वसूली की जा रही थी। नियम जिस के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है, का उल्लेख किया जाए अन्यथा अग्रिम भुगतान की गई राषि की उचित माध्यम से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके मन्दिर न्यास कोष में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही अग्रिम भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए :—

Ø0 l0	nSfud Hkksxh deZpkjh dk uke	inuke	fu;qfDr dh frfFk	vfxze osru Hkqxrku	vfxze Hkqxrku dh jkf'k	fnukad 31-12-10 rd olwyh

				dh frfFk	¼₹½	;kX; cdk;k jkf'k ¼₹½
1	श्री लोभा राम	चौकीदार	01.01.09	21.08.10	10000/–	6000/–
2	श्रीमति सन्तोष देवी	कम्पयुटर ऑप्रेटर	16.02.09	10.11.10	20000/–	20000/–

32 efUnj U;kl }kjk deZpkfj;ksa dh vfu;fer HkrhZ@fu;qfDr %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास ने अवधि 01.04.2008 से 31.12.2010 तक 10 कर्मचारियों की नियुक्तियां दैनिक वेतन पर की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पत्र संख्या विविध/552–527, दिनांक 09.07.2008 द्वारा मन्दिर न्यास को सूचित किया था कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेष ने मन्दिर न्यासों में किसी भी प्रकार की नई भर्ती/नियुक्ति पर दिनांक 22.05.2007 से प्रतिबन्ध लगा दिया था। इसके बावजूद भी मन्दिर न्यास ने कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी। हिमाचल प्रदेष सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम, 1984, संषोधित अधिनियम, 2007 की धारा 5(4) में मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं प्रधान सचिव (भाषा) को नई भर्ती/नियुक्ति करने का अधिकार निहित है। इस प्रकार मन्दिर न्यास ने 10 कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति अपने स्तर पर की जो कि सरकार द्वारा जारी दिषा–निर्देषों तथा उपरोक्त अधिनियम का सीधा उल्लंधन है जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अनियमित रूप से की गई भर्ती/नियुक्ति की संषोधित अधिनियम, 2007 की धारा 5(4) के अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए वेतन भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिष्चित की जाए :–

Øe la[;k	uke	inuke	fu;qfDr dh frfFk
1	श्री राजेष कुमार	पुजारी	01.04.2008
2	श्रीमति संतोष देवी	कम्पयुटर ऑपरेटर	16.02.2009
3	श्री लोभा राम	चौकीदार	01.01.2009
4	श्री हेमन्त कुमार	पुजारी	01.11.2010
5	श्री दौलत राम	चौकीदार	01.11.2010
6	श्री जितेन्द्र सिंह	चौकीदार	01.11.2010
7	श्री जीवन प्रकाष	पुजारी	01.11.2010
8	श्री मंगत राम	चौकीदार	01.12.2010
9	श्री अवनीष कुमार	सफाई कर्मचारी	01.12.2010

10	श्री चेत राम	चौकीदार	01.11.2010

33 vkd{k.k ds nkSjku ik;k x;k fd efUnj U;kl dh vof/k 01-01-2008 ls 31-12-2010 rd vk; dk en okj fooj.k fuEu izdkj Fkk %&

Ø0 l0	en dk uke	o"kZ 2008	o"kZ 2009	o"kZ 2010
1	नरसिंह मन्दिर व्यवसायिक परिसर से प्राप्त आय	6,29,962.00	15,09,495.00	7,77,362.00
2	सराहन विश्राम गृह से प्राप्त आय	2,74,318.00	5,31,519.00	5,07,869.00
3	सराहन/श्राईकोटी/अन्य मन्दिरों के भेंट पात्रों से प्राप्त आय	20,39,513.00	27,54,814.00	29,62,958.00
4	सराहन कंटीन से प्राप्त आय	35,308.00	12,435.00	19,500.00
5	दान से प्राप्त आय	21,050.00	34,627.00	38,335.00
6	प्रकाशन से प्राप्त आय	42,388.00	506.00	—
7	ब्याज से प्राप्त आय	1,44,750.00	1,28,048.00	2,31,496.00
8	अनुदान	42,05,000.00	38,51,000.00	—
9	विविध आय	29,558.00	87,561.00	21,634.00
10	बड़ा परिसर की दुकानों से आय	—	21,56,426.00	35,26,580.00
11	रघुनाथ परिसर व सराहन पार्किंग हेतु अनुदान	—	45,50,999.00	—
12	बड़ा अखाड़ा विश्राम गृह से आय	—	52,300.00	2,62,830.00
13	अयोध्या नाथ मन्दिर न्यास से आय	—	—	15,11,362.00
		₹74]21]847-00	₹1]56]69]730-00	₹98]59]926-00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 में वर्ष 2009 की तुलना में ₹5809804/—की आय में कमी आई है, जिस बारे तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करें तथा मन्दिर न्यास की आय में बढ़ौतरी हेतु विषेष पग उठाए जाऐं।

34 vkd{k.k ds nkSjku ik;k x;k fd Jh Hkhek dkyh th ,oa vU; efUnj lewg U;kl jkeiqj cq'kgj ds fuf/k;ksa dk j[k&j[kko fnukad 31-12-10 dks fuEufooj.kkuqlkj cSad [kkrksa esa j[kk x;k Fkk %&

Ø0 l0	cSad dk uke	jkf'k ¼₹½
1	हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक सीमित	15,62,475.49
2	पंजाब नैषलन बैंक	2,35,935.00
3	भारतीय स्टेट बैंक	63,23,260.15
4	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	10,00,000.00
5	यूको बैंक रामपुर	2,16,493.00
	dqy ;ksx	₹93]38]163-64

हिमाचल प्रदेष सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः वित्त–आई–एफ(ए)–88/83–11, दिनांक 15.09.1993 द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार सभी विभाग/संस्थाएं अपने धन का कम से कम 60% भाग सहकारी बैंक में जमा रखेंगे परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास ने हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक सीमित में ₹15,62,475.49 की राषि जमा की जो कि कुल जमा राषि ₹93,38,163.64 का केवल 16.73% है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.05 से 31.12.2005 के पैरा 17(क) में भी अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी। हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देषों का कढ़ाई से पालन न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ सरकार द्वारा जारी निर्देषों का कढाई से पालन किया जाना सुनिष्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 fgekpy in'k ljdkj dh v/;{krk e fnukd 02-08-2008 dk fy, x, fu.k;k dk ykx djus ckj

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेष सरकार की अध्यक्षता में मन्दिर प्रबन्धक व्यवस्था बारे दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निर्णयों को श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर में लागू नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(1) मन्दिरों की वैलेन्स स्टैटमैण्ट चाटर्ड अकाऊंटैण्ट से तैयार करवाई जा रही है परन्तु मन्दिरों की सम्पति, देनदारियों इत्यादि का पूर्ण विवरण उपलब्ध न था।

(2) मन्दिरों के ASSETS की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) आयुक्त मन्दिर द्वारा नहीं करवाई जा रही थी।

(3) मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट वर्ष 2008–09 से भी तैयार नहीं किया जा रहा था।

(4) संषोधित अधिनियम, 2007 से ₹50,000/–से अधिक राषि से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृति मुख्य आयुक्त मन्दिर सचिव (भाषा–संस्कृति) द्वारा प्रदान की जाती है जिस हेतु कार्य/योजना बजट में शामिल नहीं थी। कार्य/योजना बजट में शामिल न हो तो राषि पूंजीगत/राजस्व से खर्च की जानी है। कार्य प्राक्लन सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षारित किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग के शैडयूल रेट लगाए जा रहे हैं। सम्बन्धित कार्य का औचित्य दिया जा रहा हैं स्वीकृति सम्बन्धी समस्त प्रकरण निदेषक, भाषा–संस्कृति के माध्यम से मुख्य आयुक्त मन्दिर को प्रस्तुत नही किए जा रहे हैं केवल मन्दिर न्यास द्वारा ही स्वीकृत किए जा रहे हैं। कार्य मास्टर प्लान में शामिल नहीं किए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णायों को मन्दिर न्यास शीघ्र अनुपालन करें और कृत कार्यवाही से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 LVkd o LVkj dk y[kk Bhd <x l u j[kk tkuk %&

¼d½ स्टॉक व स्टोर पंजियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सम्बन्धित अभिलेख उचित तरीके से नियमानुसार तैयार नहीं किए जा रहे थे। स्टॉक प्रविष्टियां करते समय क्रय की मद को मध्य पंजी में दर्ज नहीं किया जाता तथा अधिकतर प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं की गई हैं। निगर्मन के समय मात्र प्राप्ति की रसीद प्रविष्टियां प्राप्तकर्त्ता से रिकॉर्ड्ड नहीं करवाई जाती तथा अन्तिम उपयोग (फाईनल कन्जमपषन) का अभिलेख प्रत्येक मास के मस्ट्रोल जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, से संदर्भित करते हुए तैयार नहीं करवाया जा रहा है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान और उसके पश्चात के स्टॉक व स्टोर के अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार तैयार करना सुनिष्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ fcyk ij okfNr iek.k&i= ntZ u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यय के विपत्रों पर माल की सही स्थिति, पूर्ण मात्रा व स्पैसीफिकेषन के मुताबिक प्राप्ति व न्यूनतम बाजार दर पर क्रय करने के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करना सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ py&vpy lEifr vfHky[k %&

श्री भीमा काली जी एंव अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुषैहर के मन्दिरों के चल–अचल सम्पति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस सम्बन्ध में मन्दिर न्यास के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उपरोक्त नियम के पार्ट (b½ व (एफ) को बनाने का अनुरोध किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी उचित कार्यवाही निपटारे हेतु नहीं की जा रही है। आवष्यक अभिलेख अविलम्ब तैयार करके इस विभाग को सूचित किया जाए तथा नियमों में उल्लेखित विवरण तैयार करके वर्ष में मन्दिरों के समस्त ASSETS का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन (Physival verification) आयुक्त मन्दिर द्वारा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ okf"kZd ctV %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट, हिमाचल प्रदेष हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास नियम, 1984 की धारा 13 के अन्तर्गत फार्म–डी में नहीं बनाया जा रहा है जो कि अनियमित है। वार्षिक बजट की आय–व्यय की अनुमानित राषि को उपरोक्त

फार्म–डी में बनाकर मन्दिर न्यास द्वारा मास फरवरी तक पारित करवाया जाए तथा इस की प्रतियां भाषा–संस्कृति विभाग व मुख्य आयुक्त मन्दिर (मन्दिर) को उपलब्ध करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

¼3½ deZpkfj;ksa dk osru ij O;; %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में 35 कर्मचारी कार्यरत हैं उन के वेतन एवं भत्ते पर मन्दिर न्यास निम्नविवरणानुसार वार्षिक व्यय कर रहा है :–

o"kZ	efUnj U;kl dh o"kZ dh vk; ¼fodkl vuqnku dks NksM+dj½	o"kZ esa osru ,oa HkÙks ij O;;	vk; dk osru ,oa HkÙks ij O;; dh izfr'kfrrk
2006	40,94,141.00	7,80,595.00	19.07%
2007	36,08,998.00	11,47,238.00	31.79%
2008	40,16,847.00	14,09,421.00	35.09%
2009	81,95,779.00	16,12,693.00	19.68%
2010	98,59,926.00	16,88,846.00	17.54%

मन्दिर न्यास अपने कर्मचारियों को वेतन भते इत्यादि भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम है तथा इस हेतु सरकार से अनुदान भी मिल रहा है। मन्दिर न्यास की शेष आय मन्दिरों की वार्षिक मुरम्मत, पूजा सामग्री क्रय हेतु एवं अन्य विकास कार्यों पर व्यय की जा रही है।

37 deZpkfj;ksa dh lsok ls lEcfU/kr fu;e o osru %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास दिनांक 06.10.1986 को बनाया गया। तब से लेकर आज तक लगभग 25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। परन्तु न्यास में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित नियम तथा वेतन भत्ते इत्यादि की अदायगी बारे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं जिस के अभाव में देय अवकाष, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि की सत्यापना की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः मन्दिर न्यास व अध्यक्ष श्री भीमाकाली जी एवं अन्य मन्दिर समूह, रामपुर से अनुरोध है कि कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित नियम व वेतन इत्यादि के नियम शीघ्र बनाए जाएं ताकि कर्मचारियों के अवकाष, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि की तदानुसार पड़ताल की जा सके।

38 y?kq vkifÙk foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपत्ति का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

39 fu"d"kZ %& लेखों में सुधार की आवष्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवष्यक कदम उठाए जाएं।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)204/99–खण्ड–2, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

i:thd`r %&1- प्रभारी, श्री भीमाकाली मन्दिर सराहन रामपुर बुषैहर, जिला षिमला हिमाचल प्रदेश को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं प्रधान सचिव (एल0ए0सी0), हिमाचल प्रदेष, षिमला–171002.

3- उपाध्यक्ष श्री भीमाकाली जी मन्दिर न्यास समूह रामपुर बुषैहर, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष।

4- उपायुक्त षिमला, जिला षिमला (हिमाचल प्रदेश)।

5- निदेषक (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vui d`ekj ?kk:½